खण्ड-362, अंक-7
सोमवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1905
(4 अप्रैल, 1983 ई0)

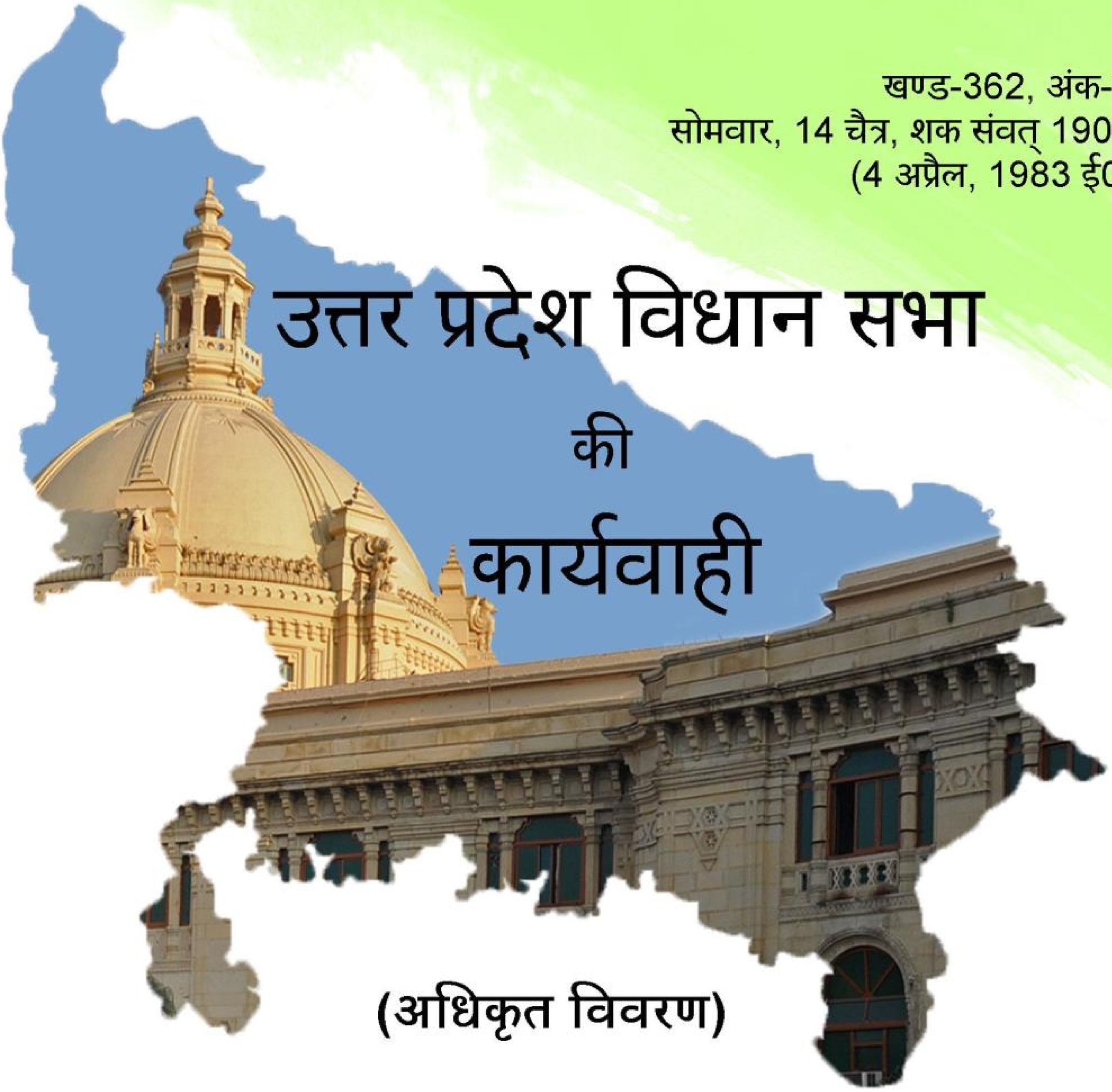

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | .... | 957--961 |
| होली का मुबारकबाद | .... | 963 |
| प्रश्नोत्तर | .... | 963—1063 |
| कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 5 से 7 अप्रैल, 83 तक के संशोधित कार्यक्रम का प्रस्ताव | .... | 1064—1065 |
| श्री खुदादीन अंसारी, सदस्य विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार | | 1065—1069 |
| नत्थियाँ | .... | 1070--1074 |


उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मडण्प, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—374

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्री (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूँ)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूँ)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)

गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह यं, मौश्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डा० (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी,
श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)

पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरूषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशोधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह,
(उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लट्टूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टेहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)

विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर श्री (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूँ)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
संतोष कुमारी, श्रीमती (बदायूँ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खाँ नवाब, श्री (शाहजहाँपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बाँदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## होली का मुबारकबाद

(श्री अध्यक्ष के सदन में आने पर)

श्री विद्यासागर नौटियाल—मान्यवर, आपको होली मंगलमय हो।

श्री अध्यक्ष—आप सबको भी मुबारकबाद।

## प्रश्नोत्तर

सोमवार, 4 अप्रैल, 1983 ई०

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### विधान सभा सदस्य, श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध देहरादून में बिना लाइसेन्स अफीम की खेती करने के दर्ज मामले पर कृत कार्यवाही

*1—श्री मोहन सिंह—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध देहरादून के आबकारी विभाग ने बिना लाइसेन्स अफीम की खेती करने का कोई मामला दर्ज किया है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं और उन तथ्यों की रोशनी में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री विद्याभूषण)—

प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप-पत्र के बारे में सूचना उपलब्ध हो गयी है। आरोप-पत्र छः व्यक्तियों के विरुद्ध ओपियम ऐक्ट की धारा 4/9 एवं डैंजरस ड्रग्स ऐक्ट की धारा 5/11 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। मामला अभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून के न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि एफ० आई० आर० की रिपोर्ट मिल गई है और आरोप पत्र के बारे में जानकारी हो गई है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, वह क्या है ?

श्री विद्याभूषण—

आज दिनांक 29-5-82 को मैं चंचल सिंह पटवारी, क्षेत्र रायगी के आदेशानुसार अधिकारीगण श्री केशवदास..... ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, क्या यह रिपोर्ट बहुत बड़ी है ?

श्री विद्याभूषण—

जी हां, बहुत बड़ी है ।

श्री अध्यक्ष—

तो उसका आप सारांश पढ़ दें, उसकी मुख्य-मुख्य बातें बता दें ।

श्री विद्याभूषण—

यह रिपोर्ट वहां के पटवारी ने कुछ व्यक्तियों के नाम से की है, जिनके नाम हैं श्री गुलाब सिंह, श्री फतेह सिंह, श्री पूर्ण सिंह, श्री सूरतसिंह, श्री नारायणसिंह और श्री देवेन्द्र सिंह । धारा 5/11 आफ डी० डी० ऐक्ट, 1930 एवं धारा 4/9 अफीम ऐक्ट, 1978 के तहत् इन लोगों ने अपराध किया है ।

श्री मोहन सिंह—

क्या अपराध किया है ?

श्री विद्याभूषण—

अपराध उनका इन धाराओं में आ गया है, आपको इसकी जानकारी होगी ।

श्री मोहन सिंह—

जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उसके मुख्य विन्दु क्या हैं ? यह तो उन्होंने अपनी रक्षा में ले लिया है कि आरोप-पत्र काफी लम्बा है, तो जैसा कि आपने निर्देश दिया है, उसका संक्षिप्त रूप ही यह बता दें कि आरोप क्या हैं जिसके तहत् यह धाराएं आयत हुई हैं ? यानी इन धाराओं के आयत होने का कारण क्या है ? उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

श्री विद्या भूषण—

जिस अपराध की धारा होगी वही अपराध किया होगा, यह आप सभी जानते हैं । 302 की धारा है तो हत्या का अपराध होगा ।

श्री मोहन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, कृपया आप संरक्षण दें । मंत्री जी जानबूझकर इस विषय में वास्तविक तथ्यों को जनता के सामने और सदन के सामने नहीं आने देना चाहते हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि जो आरोप पत्र आपने दिया है वह उन अपराधों के अनुकूल है या नहीं ? जिससे हम भी कुछ निष्कर्ष निकाल सकें और प्रदेश की जनता भी सच्चाई से अवगत हो सके ।

श्री विद्या भूषण—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि आरोप पत्र में जो धाराएं लगी हैं, वह ओपियम ऐक्ट के तहत् हैं और उसी के तहत् यह मुकदमा दाखिल किया गया है । इसमें किसी तथ्य के छिपाने की कोई बात नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

इस तरह से बिलकुल आप छिपा रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

पहाड़ी इलाके में जो पटवारी होता है वह दरोगा का काम करता है। पटवारी ने जब मुकदमा दायर किया, एडिशनल सेशन जज ने उस पर निर्णय दिया। इसमें पुलिस की तफतीश के बाद उसने राय जाहिर की कि इस केस को इस्तगाशा के तौर पर चलाया जाए। तो जो सेशन कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या मंत्री जी इसे इस्तगाशा के तौर पर चलवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने यहां कहा था कि यह मुकदमा कोर्ट में है और कोर्ट में होने के तहत् आपने आदेश दिया था कि इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं और वह मैंने हाउस के सामने पेश कर दी.....

श्री मोहन सिंह--

कहाँ प्रस्तुत किया है ?

श्री विद्या भूषण--

आप चाहें तो मैं पूरा पढ़ सकता हूँ.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बीच में एक दूसरे से न बोलें।

श्री विद्या भूषण--

आप आज्ञा दें, तो मैं पूरा पढ़ दूं।

इसके अलावा यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, मैं इसे बताने में असमर्थ हूँ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जब ये कह रहे हैं कि इनके पास एफ० आई० आर० भी है और अभियोग पत्र भी है, दोनों हैं, तो उसके संक्षिप्त बिन्दु क्या हैं, यह बता दें ? मान्यवर, ये अपने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के दोषों को छिपाने के लिये ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हैं।.....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि एफ० आई० आर० संक्षिप्त में पढ़ दें। मान्यवर, आपने इसे तीन बार स्थगित किया है। माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि एफ० आई० आर० इनके पास है और अभियोग पत्र भी इनके पास है, तो कृपा करके संक्षिप्त में एफ० आई० आर० ये पढ़ दें।

श्री विद्या भूषण--

आज दिनांक 29-5-82 को मैं चंचल सिंह पटवारी क्षेत्र रायगी आदेशानुसार अधिकारीगण श्री केवलदास.....।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप उस रिपोर्ट को पूरी पढ़ रहे हैं ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां, मान्यवर, जैसी आपकी आज्ञा हो ।

श्री अध्यक्ष —

मैं चाहता हूँ कि निष्कर्ष जो है, उसको पढ़ दें ।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, जैसी आपकी आज्ञा हो । मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं पूरी पढ़ दूँ ।

श्री अध्यक्ष--

उसका निष्कर्ष जो है, उसको आप पढ़ दें ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, संक्षेप में ही ये एफ० आई० आर० पढ़ दें ।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, संक्षेप में यह है कि कुछ आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट हुई, जिसमें धारा 5/11 आफ डी० डी० एक्ट 1930 एवं धारा 4/9 अफीम एक्ट, 1978 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, पूरा उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उत्तर के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकता हूँ ।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसा कि न्यायालय ने निर्णय दिया था, उसके आधार पर क्या माननीय मंत्री जी मुकदमा वापस लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर यह मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए इसे वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, अभी जो आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ी, जो न्यायालय में, तफतीश होने के बाद में, अभियोग पत्र दाखिल हुआ, इसके कालम नं० 1 में अभियुक्त का नाम और कालम

नं० 2 में घटना का संक्षिप्त विवरण होता है, तो वह घटना का संक्षिप्त विवरण क्या है, क्या माननीय मंत्री जी उसे पढ़ेंगे ?

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, यह तो मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट बता दिया। उसके बाद जो पुलिस ने धारायें लगायीं, वह भी अगर माननीय सदस्य चाहें, तो पढ़ सकता हूँ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, किसी चीज का उत्तर नहीं आ रहा है। आपने दो-दो बार आदेश दिया, उसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी उसको नहीं पढ़ रहे हैं।

मान्यवर, यह जो अभियोग पत्र दाखिल हुआ है, जिन धाराओं का हवाला आपने अपने उत्तर में दिया है, उन धाराओं को लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका क्या कारण है ? अभियोग पत्र का कालम 1 व 2 जो माननीय हुकम सिंह ने कहा है, उसको ये मान्यवर, पढ़ दें।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, यह तो पटवारी की रिपोर्ट पर धारायें लगाई गयीं, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टीगेशन किया।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस बार भी उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई सूचना नहीं है, तो उसके लिए आप नोटिस दीजिए।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न तीन बार स्थगित हो चुका है।

मान्यवर, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अभियोग-पत्र दोनों की मंत्री जी को जानकारी है। अभियोग पत्र के बारे में मैं 10 बार पूछ चुका हूँ। इस तरह से तथ्यों को झुठलाना और अपने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जो सदन में चुनाकर लाये हैं, तो इस तरह से तथ्यों को छिपाने से इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। अभियोग-पत्र क्या है इसको संक्षेप में बता दें ?

श्री विद्या भूषण--

मैंने बताने से मना नहीं किया है। मैं आरोप-पत्र को बता रहा हूँ।

मान्यवर, निवेदन है कि दिनाँक 29-5-82 को बवक्त 3 बजे शाम को अभियुक्त श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री धनसिंह, श्री फतेह सिंह, श्री पूरन सिंह, श्री सूरत सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, श्री नरायन सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी बृनाड़ के खेत नं० 109, 108, 103, 29, 30 रकबा एक एकड़ में पोस्ते के पौधे थे। डोंडों में चीरा लगा था। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, लखनऊ से पोस्त का पौधा होना, चीरा लगाने,

अफीम निकालने का नतीजा मिला। इस मामले में पुस्त-गवाहान हैं। जुर्म साबित है, अपराध धारा 5/11, डी० डी० ऐक्ट 4/9 अफीम ऐक्ट का है। अतः उपरोक्त अपराधियों को दंडित करने हेतु आरोप-पत्र सेवा में प्रेषित है जिन्होंने (अभियुक्तों) पोस्तें बोयी थी।

## कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय से संबधित महाविद्यालयों में फर्जी डिग्रियाँ बाँटने संबंधी शिकायती पत्र

*2—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति ने अपने विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां बांटने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र सितम्बर, 1982 में शासन को लिखा है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

कुलपति द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1982 को पत्र भेजा गया था जिसमें बार कौंसिल आफ इण्डिया की निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट में कानपुर विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां दिल्ली के किसी व्यक्ति द्वारा बेचे जाने की अफवाह का उल्लेख है। विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इस सम्बन्ध में जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।

शासन ने कानपुर विश्वविद्यालय से कहा है कि वे सभी महाविद्यालयों में विधि कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश, उनकी कक्षाओं में उपस्थिति तथा प्रवक्ताओं की योग्यता एवं अन्य सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तों का पालन कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न के लिये 10 मिनट हो गये हैं, अब आगे बढ़ते हैं।

[शिक्षा मंत्री के प्रश्न के उत्तर को पढ़ना आरम्भ करने पर]

बृज किशोर मिश्र (डा०) —

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुईद अहमद—

यह आरोप है।

बृज किशोर मिश्र (डा०)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री बैठें। (व्यवधान)

प्रश्नों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं होती है । मैंने शिक्षा मंत्री को बुलाया है ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगी कि जांच कब से की जा रही है ? क्या कोई रिपोर्ट मिली है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि वाइस चांसलर, कानपुर यूनीवर्सिटी का एक पत्र 24-9-82 को शासन को प्राप्त हुआ था जिसके साथ उन्होंने बार काउंसिल आफ इण्डिया की इंस्पेक्शन रिपोर्ट संबद्ध किया था जिसमें कानपुर डी० ए० वी० कालेज के विषय में आरोप की चर्चा की गयी है ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगी कि कौन मामला अपराध अनुसंधान शाखा को भेज दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो बार काउंसिल आफ इण्डिया की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इस बात को इंगित किया है कि कुछ रियूमर्स, अफवाहें हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध डी० ए वी० कालेज है, उसमें डिग्रियां फर्जी दी जाती हैं और प्रवेश भी फर्जी होता है, अफवाह का उल्लेख किया है । कानपुर यूनीवर्सिटी के अधिकारियों ने सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन से इस विषय में जांच करने का निवेदन किया है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, यह एक गम्भीर सवाल है कि किसी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक डिग्रियाँ फर्जी बँटती हों और उससे एडवोकेट्स का रजिस्ट्रेशन होता हो, भारत का बार कौंसिल इस बात को कहता है, इससे कोई गम्भीर मामला नहीं हो सकता । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, बार कौंसिल ने सुझाव दिया है कि इसकी सी० बी० आई० से जांच करायी जाय, उत्तर प्रदेश सरकार इतने गम्भीर मामले की किसी सक्षम खुफिया एजेन्सी से एक निश्चित अवधि के अन्दर जांच कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, गलतफहमी हो गयी है माननीय विधायक महोदय को । बार कौंसिल ने यह नहीं कहा कि फर्जी बँट रही है आप आज्ञा दें तो मैं, शब्दावली आपके सामने रख दूं, 'वि हैड हर्ड दि रियूमर', एक अफवाह सुनी है कि लॉ डिग्री, जो कानपुर यूनिवर्सिटी की है, उसे फर्जी तरीके से कोई दिल्ली में व्यक्ति है, जो बांट रहा है, इसके लिए कानपुर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने सी० बी० आई० की जांच हेतु निवेदन किया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, यह खेद का विषय है कि बार कौंसिल आफ इण्डिया की इन्सपेक्शन रिपोर्ट में इस तरह की बातें आयीं । इस घटना का

सम्बन्ध इस प्रदेश से है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि शासन को, इस प्रदेश की सरकार को, या माननीया मंत्री जी को इस बात की जानकारी है और इसके पहले भी जानकारी थी कि फर्जी डिग्रियां बंट रही हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सी प्रभावी कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, फर्जी डिग्रियों के ऊपर हमारे पास आधारभूत कोई प्रूफ इस समय नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, विषय की गम्भीरता की ओर माननीया मंत्री जी का फिर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, बार कौंसिल आफ इंडिया ने पत्र लिखा, उस पत्र की जानकारी शासन को मिल गयी, उसमें पूरी बातें हों या न हों, शासन को इसकी जानकारी मिल गयी कि इस प्रकार के आरोप कानपुर विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध महाविद्यालय के बारे में हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं है। मैं माननीया मंत्री जी से साफ साफ यह जानना चाहता हूँ कि उनकी शिक्षा व्यवस्था निष्कलंक रहे, डिग्रियों में आस्था बनी रहे, बार कौंसिल आफ इण्डिया तो सम्पूर्ण भारत की चिन्ता करता है, तो जो यह जानकारी मिली है फर्जी डिग्रियों के बाबत, यह सही है कि नहीं ? अगर हैं, तो उसके रोकथाम के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाये गये, उसके सम्बन्ध में कोई प्रयास किया गया ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक बात तो यह है कि बार कौंसिल ने स्वयं कहा कि अफवाह है, कोई हमारे पास आधारभूत शिकायत आती है, और ऐसे रोल नम्बर्स आते हैं जो कि फर्जी बँटे हैं, तो हम उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करेंगे, दूसरे इन फर्जी डिग्रियों को तुरन्त हम जब्त कराने के आदेश देंगे। एक बात जो आपने पूछी कि क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी, तो इसमें मैं बतलाना चाहती हूँ कि यह 1981 की परीक्षाओं से सम्बन्धित है। उसमें जो डी० ए० वी० कालेज ने गलत बात की वह यह है कि परीक्षा प्रारम्भ हुई 12 नवम्बर, 1981 में और उसके बाद उन्होंने इनरोलमेंट दिये, फीस जमा नहीं की, प्रवेश आज्ञा और रोल नम्बर नहीं आये यूनिवर्सिटी से, उन लोगों को परीक्षा में बैठा दिया, नम्बर एक काम तो यह किया परीक्षा समिति ने कि उनकी परीक्षा निरस्त करके, उनको 1982 में बैठने की अनुमति दी। दूसरे मान्यवर, वी० सी० ने एक समिति का गठन किया, इस बात की जानकारी के लिए कि अगर कोई गलत तरीके से, बिना अनुमति के परीक्षा केन्द्र में बैठा है, तो उसकी जांच करके परीक्षा को निरस्त किया जाय ताकि फर्जी डिग्री न बाँटी जायं। नम्बर तीन इस बात का निर्णय लिया गया है कि 1981 में जिन्होंने बिना आज्ञा के केन्द्र परिवर्तन किया है उन छात्रों का भी परीक्षाफल रोक दिया जाय और इसके अतिरिक्त जो प्रभावी कार्यवाही हुई है वह यह है कि 1982 से सभी परीक्षायें विश्वविद्यालय स्वयं संचालित कर रहा है और उनका संचालन विश्वविद्यालय के हाथ में होने से प्रबन्ध समिति के हाथ में न होने से सन् 82 के बाद कोई शिकायत नहीं आयी है। चौथी बात यह की गई कि 1982 में प्रवेश समिति ने निर्णय लिया

कि डी० ए० वी० कालेज में प्रथम वर्ष में 5 सौ विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इससे ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश लेंगे तो उनके रिजल्ट घोषित नहीं किये जायेंगे और न परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहूँगा। इस प्रदेश के एक विश्वविद्यालय के कुलपति ने शासन को सूचित किया कि उनके विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालय में फर्जी डिग्री बंटने की अफवाह सुनी है। मैं जानना चाहता हूँ जिस समय कुलपति ने शासन को सूचित किया उन्होंने केवल इतना बताया कि लॉ विभाग की डिग्री बंटी। क्या मंत्री जी कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पिछले 4 वर्षों की बी० ए०, एम० ए०, एवं लॉ डिग्रियों की जांच कराकर उपयुक्त समय पर माननीय सदन को सूचित करेंगी ? नम्बर दो क्या कोई एक प्रभावी आयोग का गठन करेंगी जो सम्पूर्ण डिग्रियों की जांच करने के बाद जो फर्जी पाई जायं उनको तत्काल निरस्त करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपको ज्ञात होगा कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त अनियमितताओं की जांच चल रही है और उसके पास आप अपनी शिकायत प्रस्तुत करें। अगर कोई फर्जी डिग्री पाई जायेगी तो अवश्य निरस्त की जायेगी चाहे बड़े से बड़े आदमी के लड़के के पास क्यों न हों।

## जनपद हरदोई के श्री देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी के पूर्व प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध आरोपों से सम्बन्धित पत्र

*3—श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के श्री देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी के पूर्व प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध आरोपों का वर्तमान प्रबन्धाधिकरण कर देने से सम्बन्धित एक प्रार्थना पत्र प्रबन्धक श्री कृपाल सिंह की ओर से जो प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित किया गया था, मई, 1983 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

उक्त पत्र में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 (घ) (2) की कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। यह प्रकरण अभी शिक्षा निदेशक के विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक पूर्व प्रबन्धाधिकरण था और एक वर्तमान प्रबन्धाधिकरण है। पूर्व प्रबन्धाधिकरण पर अनियमितता के आरोप लगाये गये थे जिसका नतीजा यह हुआ कि वह समाप्त

हो गया और नया प्रबन्धाधिकरण बना। वर्तमान प्रबन्धाधिकरण ने उन अनियमितताओं को दूर कर दिया और एक साल से कार्यरत है। मैं जानना चाहूँगा कि जो कार्यवाही निदेशक के विचाराधीन है उसमें अब तक कितनी कार्यवाही हुई और यह कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र समाप्त होगी, और उचित निर्णय लिया जायेगा। यह बात सही है कि एक प्रबन्धाधिकरण पूर्व में था और दूसरा प्रबन्धाधिकरण अब है। पूर्व का प्रबन्धाधिकरण जो था उसके प्रधानाचार्य पर जो अब स्वर्गवासी हो गये हैं, उनके समय में अनियमितता थी। एक अनियमितता यह थी कि प्रतिभूति का पैसा.....

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न का उत्तर नहीं है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

जो इस समय वर्तमान प्रबन्धाधिकरण है उसमें 5 या 7 अनियमिततायें थीं और उसमें से 3 या 5 दूर कर दी गयी हैं, बाकी जो रह गयी हैं उनके विषय में कार्यवाही चल रही है और जांच की जा रही है। अगर उनका भी निराकरण हो जाता है तो अवश्य ही 16 डी की कार्यवाही प्रारम्भ करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो छोटी-मोटी अनियमिततायें रह गयी हैं उनके सिलसिले में वर्तमान प्रबन्धाधिकरण को क्या माननीय मंत्री जी किसी प्रकार से सूचित करने का कष्ट करेंगी कि वे इनका निराकरण कर सकें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जो वर्तमान प्रबन्धाधिकरण है, उन्होंने वास्तव में प्रयास किया है कि अनियमिततायें दूर करें, जैसे फीस आवश्यकता से अधिक ली जाती थी, उसे न लें, निदेशक का पत्र भी 31-3-83 को डी० डी० आर० को लिखा गया है कि जो प्वाइंट लिखे गये हैं तत्काल उनको क्लियरेंस दे दें।

[सोमवार, 4 अप्रैल, 1983 हेतु तारांकित प्रश्न]

## बी० टी० सी० ट्रेनिंग हेतु शैक्षिक योग्यता

*1—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 5976/15 (5)-81-470/81 दिनांक 28-9-81 द्वारा बी० टी० सी० ट्रेनिंग के लिए शैक्षिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण के स्थान पर हाई स्कूल उत्तीर्ण होना निश्चित किया गया है और साथ ही यह भी निश्चय किया गया है कि जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रशिक्षित बी० टी० सी० अभ्य-

थियों की नियुक्ति तब तक नहीं की जायगी जब तक वह हाई स्कूल उत्तीर्ण न हो जायें ? यदि हां, तो इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसीलिये उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक, सेवा नियमावली, 1981 में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष रखी गयी है और प्रशिक्षित अध्यापकों पर भी हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त रखी गयी है ।

## गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, गोरखपुर के प्रशासक एवं उप प्रशासक के विरुद्ध शिकायती पत्र

*2—श्री केदारनाथ सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, गोरखपुर के प्रशासक एवं उप प्रशासक के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दि० 19-1-82 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय विधायक का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तत्कालीन प्रशासक एवं उप प्रशासक के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । पत्र में उल्लिखित अधिकांश वित्तीय अनियमितताएं थीं । अतएव इनका विशेष आडिट कराया जा रहा है ।

श्री केदारनाथ सिंह--

क्षेत्रीय विकास विभाग, गोरखपुर के गण्डक समादेश से सम्बन्धित यह मामला है और उत्तर में यह कहा गया कि वित्तीय अनियमितताओं आदि की जाँच आप द्वारा करायी जा रही है । शिकायती पत्र में वित्तीय अनियमितताओं के अतिरिक्त प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले भी थे । यह जो आडिट करा रहे हैं, मेरी सूचना को सही मानते हुए कि दोषी अधिकारी उसमें प्रभाव डाल रहे हैं, तो क्या मन्त्री जी इसकी जाँच विजिलेंस से कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसकी जाँच विजिलेंस से करा दी जायेगी ।

*3--श्री राम आसरे वर्मा तथा

श्री रियासत हुसैन--

[दिनांक 7-3-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 द्वारा उत्तरित]

*4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[दिनाँक 14-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 183 द्वारा उत्तरित]

## माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र फर्जी बनाकर देने की जाँच

*5—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने का सर्टिफिकेट व अंकतालिका फर्जी बनाकर देने का धंधा विगत दस वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो मामले की जांच कराने तथा रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के जाली प्रमाण-पत्र तथा अंक-पत्र के कतिपय प्रकरण वर्षानुवर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा शासन की जानकारी में लाये जाते रहे हैं। मामलों में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जाँच की जा रही है। परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को भी यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे अपनी जानकारी में आये संदिग्ध मामलों में सतर्कता बरतें और आवश्यक छानबीन तथा परिषद् कार्यालय से सत्यापन कराकर सम्बन्धित परीक्षार्थी के विरुद्ध थाने में निर्धारित प्रारूप में, जो उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है, एफ० आई० आर० दर्ज करायें। इसके अतिरिक्त परिषद् कार्यालय की कार्य विधियों में काफी सुधार इस दृष्टिकोण से किया गया है कि इस प्रकार के मामलों पर रोकथाम रहे।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या शिक्षा मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह तो एक कान्टीन्यूअस प्रोसेस है· जहाँ लाखों व्यक्ति बैठते हैं, छात्र-छात्रायें लाखों की संख्या में, 14–14, 15–15 लाख, तो उसमें दस-पाँच फर्जी केसेज भी हमारे सामने आये हैं.....एफ० आई० आर० बराबर लाज हो रहे हैं। सी० आई० डी० की इन्क्वायरी चल रही है। 76 से जो पुराने केसेज चले आ रहे हैं, उनके बारे में हमने गृह मन्त्रालय को 7–2-81 को लिखा, पूरी लिस्ट दी। 1–10–82 को रिमाइन्ड किया कि तुरन्त इसकी छानबीन की जाये। जो केसेज ऐसे हैं हमारे सामने लाये जांये जिससे हम उचित कार्यवाही करें। दोषी व्यक्तियों को दण्ड दें। प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सी० आई० डी० से इन्क्वायरी हो रही है।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब वह यह स्वीकार करती है कि 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में बैठते हैं इस नाते परीक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर पाना संभव नहीं है। क्या माननीया शिक्षा मन्त्री जी इस माध्यमिक शिक्षा परिषद् को सेन्ट्रलाइज करेंगी जिससे व्यवस्थित ढंग से परीक्षायें संचालित की जा सकें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं इस बात को स्वीकार नहीं करती कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जो परीक्षायें संचालित हो रही हैं वह व्यवस्थित नहीं हैं। मैं यह डेटा आपके सामने रख दूँ तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि कितनी कुशलता से और होशियारी से काम चल रहा है। 1975 में हाई स्कूल के केवल 25 केसेज में शिकायत आयी जबकि इण्टरमीडिएट के केवल एक केस की। 1974 में जहां हाई स्कूल में 14 शिकायतें थीं वहां इण्टर में केवल 4। जहां लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं इतनी सतर्कता है.....

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि सेन्ट्रलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका उत्तर दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उन्होंने कहा कि अव्यवस्था है। इसका उत्तर देने का अधिकार दें मुझे। हमारी परीक्षायें अव्यवस्थित नहीं हैं। पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। विश्व में सबसे बड़ी परीक्षा है, इसका मुझे अभिमान है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आंकड़े दिये हैं उन्होंने, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? इन्होंने आँकड़ा दिया कि 75-76 में इतने केसेज आये.....

श्री अध्यक्ष--

75-76 का जिक्र कहां से आ गया?

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

इन्होंने कहा कि इतने केसेज सामने आये। तो उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी निवेदन किया कि सी० आई० डी० के द्वारा इन्क्वायरी हो रही है। न्याय की जो प्रक्रिया होती है, वह होगी।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, दीदी एक मिनट में बदल जाती हैं। इन्होंने साफ कहा कि कार्यवाही हो रही है, जांच कर रहे हैं। जो भी जाँच की गयी उसमें क्या कार्यवाही की गयी, कृपया बताने की कृपा करें? शिक्षा मन्त्री जी के कार्यकाल में जो जांच हुई उनमें एक के भी विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई। इलाहाबाद में बोर्ड बना है। नकली सर्टीफिकेट पांच-पांच एक-एक हजार में बेंचे जाते हैं।.....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

प्रश्न मेरा यही है कि क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने निवेदन किया कि जो शिकायतें आयीं उनको होम डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया गया है। सी० आई० डी० से इन्क्वायरी चल रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, शिक्षा विभाग के उत्तर और प्रश्न में अभी बड़ी अशिक्षा और असभ्यता का प्रदर्शन हो रहा है। हमारा सुझाव है कि इसको बन्द कर दिया जाये तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं दो प्रश्न करना चाहता हूँ। माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में खुद ही लिखा है कि पिछले 10 वर्षों से जाली प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं तथा इनकी अपराध अनुसन्धान शाखा द्वारा जाँच की जा रही है। इस प्रकार के दो हजार से भी ज्यादा केसेज बोर्ड द्वारा विभिन्न थानों में दर्ज कराये गये हैं। यह बात सरकार के संज्ञान में भी है तथा 10 साल से इन पर जाँच हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस अवधि में सरकार की तरफ से यह प्रयास किया गया कि जाँच रिपोर्ट जल्दी प्राप्त करके उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आपको प्रश्न ही करना नहीं आ रहा है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मेरा प्रश्न तो यह था कि इस अवधि में सरकार द्वारा जल्दी से जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि हम दो बार होम-डिमार्टमेंट को सम्बन्धित मामले में सूचित कर चुके हैं। दोबारा, जैसा कि माननीय सदस्य श्री पंचानन राय जी ने कहा है, हम इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेंगे और जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

## गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के शिक्षक संघ के अध्यक्ष की ओर से दिया गया ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

*6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-

विद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के शिक्षक संघ के अध्यक्ष की ओर से इस आशय का ज्ञापन 8-10 82 का अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला जिसमें कि विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अनियमितताओं तथा वहां के एक वरिष्ठ प्राध्यापक डा० राम नारायण द्वारा की गयी आत्महत्या के कारणों की जाँच कराने की माँग की गयी है ? यदि हाँ तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के शिक्षक संघ के अध्यक्ष की ओर से 8-10-82 को इस आशय का ज्ञापन प्राप्त हुआ था कि स्वर्गीय डा० राम नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर, बायोकेमिस्ट्री, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के आत्महत्या के मामले की प्रस्तावित मैजिस्ट्रीयल जाँच के स्थान पर न्यायिक जाँच कराई जाय। जिससे डा० राम नारायण के आत्महत्या से सम्बन्धित समस्त पहलुओं एवं सत्यता पर प्रकाश पड़ सके।

शासन द्वारा जिला न्यायाधीश, सीतापुर की अध्यक्षता में जाँच आयोग का गठन कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त -

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पत्र के संदर्भ में दिया गया है, उस शिकायती पत्र में, प्रोफेसर की आत्महत्या और उस विश्वविद्यालय में गम्भीर अनियमितताओं इन सब तरह की शिकायतों के बारे में हैं, लिखा गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो जुडिशियल कमीशन एप्वाइन्ट किया गया है उसका टर्म आफ रेफरेन्स क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जो शिकायतें की गई हैं उन सब पर यह आयोग जाँच करेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी जानकारी के हिसाब से माननीय मन्त्री जी ने पत्रावली देखी नहीं, जल्दी में माननीय कृषि मन्त्री जी की तरफ से उत्तर देने चले आये हैं। मान्यवर, उस पत्र की एक कापी मेरे पास भी है। उस पत्र में विश्वविद्यालय में गम्भीर अनियमितताओं के सिलसिले को बताते हुए आत्महत्या की भी चर्चा की गई है। आत्महत्या के कारणों के जाँच बिन्दु दिये गये हैं लेकिन इससे पूरा काम चलने वाला नहीं है। माननीय मन्त्री जी, कृपया बतायेंगे कि अध्यापकों का जो शिकायती पत्र था उसमें जो अनियमिततायें लिखी गई हैं उन्हें संक्षेप में बता दें। क्या टर्म आफ रेफरेन्स में इन अनियमितताओं की जाँच निहित है ? यदि है, तो ठीक है और यदि नहीं है तो क्या इन अनियमितताओं के बारे में सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी कि ये टर्म आफ रेफरेन्स में आ जाँय ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, श्री राम नरायन जुलाई, 1961 में सहायक प्राध्यापक के रूप में कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर में नियुक्त किये गये थे। इस प्रकार उनकी सेवा अवधि उक्त कार्यालय

में 21 वर्ष की होती है। सहायक प्राध्यापक के पद में वरीयता एवं प्रशासकीय शैक्षिक योग्यता के होते हुए भी दीर्घकाल तक प्राध्यापक पद में नियुक्त नहीं किये जाने के कारण डा० राम नरायन क्षुब्ध थे। जीव रसायन विभाग में 1975-76 में डा० यू० के० मिश्र को प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी और वे लगभग दो वर्ष तक इस विभाग में रहे। इस अन्तराल को छोड़कर शेष वर्षों में डा० राम नरायन ही विभाग की देखभाल करते रहे। स्व० श्री शिव प्रसाद पान्डेय, भूतपूर्व कुलपति के शासन काल में विश्वविद्यालय ने "शेडो" पदों का सृजन किया। डा० राम नरायन का प्राध्यापक के रूप में चयन हो जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पायी क्योंकि एक व्यक्ति विशेष को दूसरे महाविद्यालय में नियुक्त करने के पश्चात् वे पद समाप्त कर दिये गये। डा० राम नरायन पुनः नवम्बर, 1981 में जीव रसायन विभाग के प्राध्यापक के पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित हुये परन्तु दीर्घकाल तक इस साक्षात्कार का निर्णय, वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया गया। साक्षात्कार के उपरान्त किन्हीं सूत्रों द्वारा डा० राम नरायन को यह ज्ञात हुआ कि उनका चयन इस पद पर नहीं हो सका है और उनके द्वारा पढ़ाये गये उनसे 20 साल कनिष्ठ छात्र डा० गोविन्द कृष्ण गर्ग का चयन हुआ। इस सन्दर्भ में वे व्यक्तिगत रूप से कुलपति श्री आनन्द स्वरूप से मिले और उनको एक प्रतिवेदन भी दिया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि डा० गर्ग को इस पद के लिये आवश्यक दस वर्ष का शैक्षिक अनुभव नहीं है। उक्त ज्ञापन/प्रतिवेदन कुलपति द्वारा कुछ तकनीकी कारणों से निरस्त कर दिया गया और उक्त प्रतिवेदन में उठाये गये तथ्य डा० गर्ग को दस वर्ष का शैक्षिक अनुभव है या नहीं, पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पर डा० राम नरायन पुनः कुलपति से मिले और कुलपति के साथ हुई वार्ता के विषय में अवगत कराया, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि डा० राम नरायन को कहीं से भी न्याय का आश्वासन नहीं मिला जिसके कारण वे बहुत दुखी एवं परेशान थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जो आरोप-पत्र संक्षेप में बता देते तब भी मैं सन्तुष्ट हो जाता, खैर उन्होंने पूरा पढ़ दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो जुडिशियल कमीशन का टर्म आफ रेफरेन्स है, उसे देख लें और यह देख लें कि यह उसमें निहित है या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये मामला दे दिया गया है। जैसा माननीय सदस्य का सुझाव है, इसमें कोई बात छिपाने की आवश्यकता नहीं है, इन तमाम बातों की जाँच हत्या के कारणों के साथ-साथ न्यायिक कमीशन से करा ली जायगी।

श्री ऊदल—

न्यायिक कमीशन को जो जाँच का आदेश दिया गया है, तो उनको कितने समय में जाँच करके रिपोर्ट देने के किये कहा गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उनको आदेश दिया गया है कि 4 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पूर्ण करके शासन को प्रस्तुत करें।

## बस्ती जनपद के ग्राम करौंदा मासना में कूप निर्माण में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*7—श्रीमती कमला साहनी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के जोगिया विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम करौंदा मासना में हरिजन कूप बनवाया गया है ? क्या यह सही है कि कूप का पूरा निर्माण न होने पर भी निर्माण कार्य का पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारी को दंडित करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

(क) जी हाँ ।

(ख) कूप का पूरा निर्माण 3170.00 रुपये की धनराशि से करा दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कूप निर्माण में विलम्ब के लिए उत्तरदायी ग्राम्य विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

श्रीमती कमला साहनी—

यह जो ग्राम करौंदा मासना है, यह मेरे घर के बगल का गांव है । मेरी जानकारी है कि कुंआ बनकर तैयार इस स्तर तक नहीं हुआ है कि पेयजल उपलब्ध हो सके, प्रश्न पूछने के बाद यह हुआ कि ईंट जोड़ दी गयीं और सूचना भेज दी गयी । मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या कुएं को इस स्तर तक निर्मित किया जायगा कि हरिजन लोग पानी पी सकें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अगर उस कुंए में पानी नहीं निकला है तो जाँच करा ली जायगी और इसमें सुधार करा लिया जायगा ।

श्रीमती कमला साहनी—

यह कुंआ 3 साल पूर्व बनना शुरु हुआ था । पैसा कर्मचारी ने अपने पास रखा, तो वह कर्मचारी तीन साल तक धन का दुरुपयोग करता रहा और वहाँ की जनता तीन साल तक परेशान होती रही, इस पर सिर्फ उस कर्मचारी का स्थानान्तरण कर दिया गया तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूँ कि स्थानान्तरण क्या कोई सजा है ? यदि यह कोई सजा नहीं है तो क्या सरकार उसे पर्याप्त सजा दिलायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह कूप जो है, वह बनने के बाद धंस गया था, जिसे दुबारा फिर सुधारना पड़ा और माननीय सदस्य जो उसके खिलाफ कह रही हैं, उन सभी बातों की फिर जाँच करा ली जायेगी । उसमें जो तथ्य सामने आयेंगे, कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैंने उस गांव का एक माह पूर्व दौरा किया था, वहाँ पर सिर्फ भगार खुदा हुआ है, जिसमें वहाँ के लोगों ने बताया कि कई- जानवर गिर कर मर चुके हैं और एक बच्चा भी गिर गया था। इस पर माननीय मन्त्री जी ने बताया कि वह कुआँ बनाया गया फिर गिर गया और फिर अब सुधारा जा रहा है, तो यह गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इन सम्पूर्ण बातों की जानकारी करा ली जायेगी।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय क्योंकि जानकारी पूरी नहीं है।

## प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब की बिक्री में करों की कमी करने का कथित विचार

*8—श्री हुकम सिंह—

क्या आबकारी मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब की बिक्री एवं खपत को प्रोत्साहन देने हेतु शराब पर लगे विभिन्न प्रकार के करों में कमी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो करों में कमी करने में सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर क्या प्रभाव होगा ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्नगत आइटम्स हैं, जिनके बारे में मैंने जानकारी चाही है, उन पर इक्साईज ड्यूटी के अलावा और कौन-कौन से कर लगाये जाते हैं ?

श्री विद्या भूषण—

एक तो इक्साइज ड्यूटी और दूसरी आप्शन फीस ली जाती है।

श्री हुकम सिंह—

जो इक्साइज ड्यूटी हमारे प्रदेश में लगायी गयी है वह हमारे पड़ोसी प्रदेशों जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि में कम हैं या ज्यादा ?

श्री विद्या भूषण—

हमारे प्रदेश की अपेक्षा तो हरियाणा में कम है परन्तु राजस्थान में ज्यादा है।

## बुलन्दशहर नगर के देवीपुरा की कृष्ण पाठशाला के असुरक्षित भवन में छात्रों को न बैठाने तथा मरम्मत कराने के आदेश

*9—श्री मसरूर जाफरी—

श्री सरदार सिंह—

श्री राम सागर (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगर बुलन्दशहर के देवीपुरा की कृष्ण पाठशाला के 125–150 छात्रों की सुरक्षा के सम्बन्ध में विधायकगण श्री छत्रपाल सिंह, मसरूर जाफरी व अन्य के पत्र दिनांक 26–12–81, 2–2–82 व 1–11–82 उन्हें, शिक्षा मन्त्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 तथा 2 फरवरी 1982 के पत्र प्राप्त हुये हैं। दिनांक 1 नवम्बर 1982 का पत्र उपलब्ध नहीं है। प्रश्नगत विद्यालय भवन की जाँच शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से करायी गयी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जांच में भवन असुरक्षित पाया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संस्था के प्रबन्धक को असुरक्षित भवन में छात्रों को न बैठने तथा भवन की मरम्मत कराने के आदेश दे दिये हैं।

## माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्थागत और व्यक्तिगत हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के कुछ छात्रों का अघोषित परीक्षाफल

*10—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्थागत और व्यक्तिगत हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के वर्ष 1980–81 एवं 82 के कितने परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनके परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किए गये हैं ? इस विलम्ब का क्या कारण है तथा उक्त अघोषित परीक्षाफल कब तक घोषित हो जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न 7–12–82 का है, मैंने यह प्रश्न किया था कि इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् में बैठे इन्टरमीडिएट व हाई स्कूल छात्रों का

वर्ष 80, 81 और 82 तीन वर्षों का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, इतना महत्वपूर्ण सवाल है साथ ही बच्चों के भविष्य का सवाल है तथा चार माह हो गये इस प्रश्न को किये हुए परन्तु उसका जवाब तक नहीं दिया गया है, यह जानबूझकर लापरवाही की जा रही है। मान्यवर, इस सवाल के महत्व को देखते हुए क्या आप माननीय शिक्षा मन्त्री जी को निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि वह इस प्रश्न का जवाब इसी सत्र में अवश्य दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि यह 15 दिन बाद स्वयं ही आयेगा।

## आबकारी अधीक्षक के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*11—श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी अधीक्षक के रिक्त पदों का नियमतः चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन द्वारा अभी तक नहीं कराया गया? यदि हां, तो क्यों? कब तक लोक सेवा आयोग के पास चयन के लिये रिक्तियां तथा आबकारी निरीक्षकों की सूची भेजी जायेगी?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

आबकारी अधीक्षक के पदों पर गत नियमित चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 1976–77 में हुआ था। यह चयन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1981 में अवैध घोषित कर दिया गया। नियमित चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है।

लोक सेवा आयोग को चयन के लिए अधियाचन दिसम्बर, 1982 में भेजा गया। उस पर आयोग द्वारा कृत आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

## मदिरा की कीमत दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के मुकाबले अधिक करा दिये जाने से राजस्व की हानि तथा जाँच

*12—श्री मोहन सिंह—

क्या आबकारी मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के आबकारी विभाग के कतिपय अधिकारी मदिरा निर्माताओं से मिलकर इस प्रदेश में मदिरा की कीमत दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के मुकाबले अधिक करा दिए थे, जिसके कारण प्रदेश को लगभग 55 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हुई और इस मामले की जांच के लिए शासन ने आबकारी सचिव,

वित्त सचिव, संस्थागत वित्त सचिव की कोई जांच समिति दिसम्बर 1982 में गठित कर दी ? यदि हां तो समिति ने जांच के दौरान कौन से तथ्य प्रकाश में लाए हैं ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं ।

शासन द्वारा गठित सचिवों की समिति की जांच के दौरान अभी तक जो तथ्य सामने आये हैं उनमें यह पाया गया है कि वर्ष 1982–83 के आरम्भ में विदेशी मदिरा की आसवनियों द्वारा आपूर्ति के उत्तर प्रदेश में निर्धारित मूल्य दिल्ली आदि राज्यों की तुलना में अधिक थे । शासन द्वारा इस मूल्य में कमी करके आपूर्ति मूल्य पुन: निर्धारित कर दिये गये हैं ।

आपूर्ति मूल्य के उक्त अन्तर से परोक्ष रूप से आबकारी राजस्व की हानि नहीं हुयी है किन्तु अपरोक्ष रूप से मूल्य में कमी होने के फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि की संभावना हो सकती थी और इस कारण जो हानि हुई है उसका वास्तविक आंकलन संभव नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार इस सदन से बाहर कुछ कहती है और सदन के अन्दर कुछ और स्वयं मन्त्री जी के बयान के हवाले से यह खबर अखबार में छपी थी कि इनके विभाग के अधिकारी उत्तर प्रदेश के शराब निर्माता से मिलकर शराब के दाम जानबूझकर अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में, अधिक करा लिये थे जिससे कि सरकार को 55 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हुई । इस मामले की जांच के सम्बन्ध में फिर तीन सचिवों की एक समिति गठित की गयी, और मन्त्री जी अपने मूल उत्तर में कहते हैं कि नहीं । सदन में जो कि केवल 40 दिन चलता है, ये कुछ कहते हैं और बाकी साल में 325 दिन सदन के बाहर ये कुछ और कहते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 1982-83 में आबकारी के मूल्यों में जो वृद्धि हुई वह किस स्तर से हुई, क्या इस सम्बन्ध में कोई कैबिनेट का डिसीजन था या फिर इस तरह का निर्णय मन्त्रि-परिषद् ने लिया था जिसके आधार पर शराब के दामों में वृद्धि कर दी गयी थी ?

श्री विद्या भूषण—

पिछले वर्ष 1982-83 में जिस वक्त शराब का होल सेल सरकार ने अपने हाथ में लिया तो 25 तारीख को यह एक्साइज कमिश्नर के पास टेण्डर आये और इसे 26 तारीख को सरकार को भेज दिया गया और वे 27 तारीख को सरकार से संस्तुति होकर चले गये और कोई छानबीन नहीं हुई । 1982–83 के आरम्भ में विदेशी मदिरा की आसवनियों द्वारा आपूर्ति से उत्तर प्रदेश में निर्धारित मूल्य दिल्ली आदि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थे । जब इस मामले को पकड़ा गया तो मैंने कमिश्नर को आदेश दिया । कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई । उसके बाद मेरे कमरे में भी डिस्कशन हुआ कि यह रेट उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों के मुकाबिले में ज्यादा दिये, इसलिये उनको कम करना होगा । इस बारे में एक समिति बना दी गयी है । आबकारी सचिव, वित्त सचिव और न्याय सचिव जो कि छानबीन कर रहे हैं । मैं आश्वासन देता हूँ कि इसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उन्हें बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि मूल प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने जवाब दिया कि जी नहीं और अब कहते हैं कि मूल्यों की वृद्धि को इन्होंने स्वयं पकड़ा। मै मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस संस्तुति पर आपने उसे कम कर दिया और दिल्ली, हरियाणा व पंजाब के मुकाबिले में जिसने उत्तर प्रदेश में मूल्य अधिक करा दिये थे, और जिस रिपोर्ट पर अधिकारी दोषी पाये गये, उसकी सूचना क्या आपको दी गयी है ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, इस विषय को स्वयं तीन सचिवों की समिति देख रही है, आबकारी कमिश्नर से कुछ जवाब माँगे गये हैं।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, अभी पिछले दिनों आबकारी विभाग में बड़ी जबरदस्त रेड मेरठ वगैरह में हुई थी जिसमें काफी दूकानों को बन्द रखा गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग गलत पाये गये तो फिर उन्हीं लोगों को दुबारा ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, यह तो प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप इस प्रकार का उत्तर नहीं दे सकते, कि इससे सम्बन्धित नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि सूचना नहीं है।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, सूचना मंगाकर बता देंगे।

श्री मोहन सिंह—

55 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। क्या इस संदर्भ में समिति ने कोई आंकलन किया है कि इसकी स्मगलिंग होने से हमारे प्रदेश के राजस्व को कितनी हानि हुई है ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

## गोरखपुर नगर के समीप स्थित रामगढ़ ताल को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना

*13—श्री पंचानन राय—

क्या पर्यटन मन्त्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर नगर के समीप स्थित रामगढ़ ताल को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस योजना का विवरण क्या है तथा उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

वर्ष 1977–78 में रामगढ़ताल के पर्यटन विकास की योजना बनायी गयी थी जिसमें ताल के निकट सुन्दर उद्यान लगाये जाने, बोट क्लब, मोटेल तथा कैफेटेरिया का निर्माण कराने, ओपेन एयर थिएटर की व्यवस्था किये जाने एवं नौका विहार तथा मत्स्य घात की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना थी। चूंकि प्रश्नगत योजना को कई विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था अतः जैसे ही झील के विकास का कार्य आबास विभाग द्वारा कर दिया जायेगा, वैसे ही पर्यटन विभाग मोटेल/कैफेटेरिया की योजना पर कार्य आरम्भ कर देगा।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रश्न और उत्तर आप दोनों पढ़ लें तो आप देखेंगे कि मैंने पूछा था कि पूरी योजना का विवरण क्या है ? लेकिन मान्यवर मन्त्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया बल्कि कुछ दूसरा उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1977-78 में योजना बनी तो उस पर आज तक कितनी प्रगति हुई और कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, मान्यवर सदस्य ने पूछा था उसी का उल्लेख किया है। मोटेल/कैफेटेरिया आदि उसी योजना के अंग हैं। इसमें वस्तुस्थिति ऐसी है कि यह बड़ी ही महत्वाकांक्षी और व्यय-साध्य योजना थी मंत्रिमण्डल की मंडलीय बैठक ने अपनी गोरखपुर की बैठक में यह निर्णय लिया था कि इसका विकास किया जाय। और जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है वह इसके विकास के सम्बन्ध में विचार करे। जहाँ तक पर्यटन विकास का सम्बन्ध है, वर्ष 1977–78 में ही बजट में प्राविधान कर दिया गया था और वर्ष 1981–82 में भी बजट में प्राविधान किया गया। वस्तुस्थिति ऐसी थी कि इस योजना को कई चरणों में पूरा होना था। जब तक प्रारम्भिक कार्य जैसे भूमि अध्याप्ति आदि का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मोटेल आदि बनाने का कार्य नहीं हो सकता। मैं अवगत कराना चाहता हूँ इसके सिलसिले में मीटिंगें चल रही हैं। सिंचाई मन्त्री जी ने मीटिंग की है जिससे उसकी प्रगति हो सके।

## वाराणसी मण्डल के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पद का कथित सृजन

*14—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शिक्षा सत्र 1981-82 में वाराणसी मण्डल के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पद सृजन बन्द कर दिया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि इसके परिणाम स्वरूप जहां छात्रों को पढ़ाने के लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी, वहीं योग्यताधारी शिक्षक पदोन्नति भी नहीं पा सके ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में पद सृजन करके पठन-पाठन में व्याप्त अवरोध को दूर कराएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

मान्यवर, इसी प्रकार का प्रश्न छठें सोमवार के लिए निश्चित था, उसमें यह स्वीकार किया गया है कि गत एक वर्ष से पद रिक्त थे क्योंकि उनको भरने का अधिकार क्षेत्र वित्तीय डायरेक्टर से डायरेक्टर को कर दिया गया है लेकिन यहां पर आज अस्वीकार कर दिया गया है । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1981-82 में कितने पद सृजित हुए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पद-सृजन पर कोई रोक नहीं लगी थी । पद-सृजन का अधिकार आर० आई० जी० एस० और जी० डी० आर० से वापस ले लिया गया । लेकिन डायरेक्टर के पास पद-सृजन का अधिकार वैसे ही निहित था, और है ।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि पद-सृजन नहीं रुका था तो सन् 1981-82 में वाराणसी मंडल में शिक्षकों के कितने पद सृजित किये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में सूचना मंगाकर आपको प्रेषित कर दी जायेगी ।

## महादेव अग्रवाल बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कालपी, जनपद जालौन में अध्यापकों को बकाया वेतन का भुगतान

*15—श्री शंकर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि श्री महादेव अग्रवाल बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कालपी, जनपद जालौन में अध्यापकों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस बिलम्ब का क्या कारण है और अध्यापकों को कब तक वेतन दे दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

---

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

## जनपद मैनपुरी के अरांव विकास क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक असन्तुलन को समाप्त करने हेतु अन्य स्थान के चयन की मांग

*16—श्री लल्लू सिह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के अरांव विकास क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असन्तुलन को समाप्त करने हेतु वर्ष 81–82 या 82-83 में जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी से किसी ऐसे स्थान का चयन करने और शासन को सूचना देने की अपेक्षा की गई थी जहां राजकीय हाई स्कूल खोला जा सके ? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ने किसी उपयुक्त स्थान या स्थानों की संस्तुति करते हुए अपनी आख्या भेजी है ? यदि हां, तो शासन ने इस संस्तुति पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । वर्ष 1982–83 में ।

जी हाँ ।

प्रस्ताव अनुपयुक्त होने के कारण कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

## श्री विजय पाल सिह राठौर, ग्राम्य विकास अधिकारी, विकास खण्ड ददरौल के विरुद्ध पम्पिग सेट खरीदने हेतु दिये गये ऋण के सम्बन्ध में अनियमिततायें

*17--श्री नाजिर अली—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक शिकायती पत्र 20–9–81 को व 17–10–81 व 12–12-81 व 17–3-82 व 22–5–82 को ददरौल विकास खण्ड, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम्य विकास अधिकारी (श्री विजयपाल सिह राठौर) द्वारा हरिजनों के नाम से 28 पम्पिग सेटों के रुपया निकाले जाने के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई तो क्यों ?

श्री बलराम सिह यादव—

माननीय सदस्य के शिकायती पत्र दिनांक 20–9–81, 17-10–81, 12–12–81 व 22–5-82 प्राप्त हुए । श्री विजय पाल सिह राठौर, ग्राम्य विकास अधिकारी, विकास खण्ड ददरौल के द्वारा अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में 29 हरिजन परिवारों को ऋण तथा अनुदान दिलाया गया, जिनमें से 24 व्यक्तियों को पम्पिग सेट खरीदने के लिए दिये गये ऋण में अनियमितताओं के कारण ग्राम्य विकास अधिकारी को प्रतिनियुक्ति से वापस लेने हेतु आदेश दे दिये गये हैं । जिला परिषद् द्वारा इस मामले में पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

*18—श्री भीखालाल—

[19 सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या—7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*19—श्री हरिवंश सहाय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

छोटे बच्चों के लिए सभी स्कूलों में पुष्ट आहार की योजना की मांग

*20—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार छोटे बच्चों के लिए पुष्ट आहार की योजना सभी स्कूलों में लागू करेगी, जैसा कि तामिलनाडू की सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[नियम 40 के अन्तर्गत माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न]

हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान राज्यों की अपेक्षा प्रदेश में अधिक आबकारी शुल्क होने के कारण तस्करी पर नियंत्रण

*1—श्री हुकम सिंह—

क्या आबकारी मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान राज्यों की अपेक्षा अधिक आबकारी शुल्क होने के कारण प्रतिदिन अवैध तरीके से हजारों लीटर एलकोहलिक पदार्थों का आयात हो रहा है जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की आय से वंचित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध आयात को रोकने के उपायों पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

आबकारी शुल्क का तात्पर्य लाइसेंस फीस से है जिसकी उत्तर प्रदेश में नीलाम द्वारा प्राप्ति होती है । इसके अधिक होने के कारण एल्कोहलिक पदार्थों का अवैध आयात नहीं हो रहा है ।

यदि आबकारी शुल्क से प्रश्नकर्त्ता का आशय आबकारी अभिकर से है तो राजस्थान राज्य में आबकारी अभिकर की दर उत्तर प्रदेश से अधिक है ।

एल्कोहलिक पदार्थों की श्रेणी में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, डिनेचर्ड स्प्रिट तथा अन्य प्रकार के औद्योगिक अल्कोहल हैं । इनमें से विदेशी मदिरा की तस्करी और अवैध बिक्री के मामले पकड़े गये हैं जिनमें यह पाया गया है कि निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा का अवैध रूप से प्रदेश के अन्दर ही विक्रय किया गया है या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश से

होकर दूसरे प्रदेशों के लिए गुजरने वाली विदेशी मदिरा अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रुक गयी है।

इस तस्करी पर नियंत्रण के निमित्त सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किये गये हैं।

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

## ग्राम्य विकास अधिकरण की सदस्यता से माननीय विधायकों/संसद् सदस्यों को पृथक् किया जाना

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में शासनादेश संख्या 1734/38-6-1664/71 दिनांक 10 मार्च, 83 ग्राम्य विकास अनुभाग (6) जारी करके जिला ग्राम्य विकास अधिकरण की सदस्यता से माननीय विधायकों एवं संसद् सदस्यों को पृथक् कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ।

भारत सरकार से प्राप्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की गवर्निंग बाडी सदस्यों की सूची में माननीय संसद् सदस्यों एवं विधायकों को सदस्य बनाने के लिए निर्देश थे। अतः पूर्व में भारत सरकार से प्राप्त सूची के अनुसार अभिकरणों की गवर्निंग बाडी में माननीय संसद् सदस्यों एवं विधायकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया किन्तु संसदीय अनुभाग ने इस सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया कि सामान्यतः ऐसी समितियों में जिनके अध्यक्ष सरकारी अधिकारी हों उनमें विधायकों को सदस्यता ग्रहण नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार से जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में माननीय विधायकों को अध्यक्ष बनाने के लिये अनुरोध किया गया किन्तु भारत सरकार इससे सहमत नहीं हुई। अतः राज्य सरकार के संसदीय विभाग द्वारा व्यक्त किए गये मतानुसार इन एजेन्सियों से माननीय विधायकों/संसद् सदस्यों को सदस्यता से पृथक् करना पड़ा। लेकिन माननीय संसद् सदस्य एवं विधायक अपना एक-एक प्रतिनिधि इस एजेन्सी की गवर्निंग बाडी में नामित कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस सरकार पर ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हावी है, इसके बारे में हम लोग कई बार यहाँ पर कहते हैं और इस प्रश्न के उत्तर से वह बात और भी साफ हो जाती है। मान्यवर, जिस दिन माननीय मन्त्री जी ग्राम्य विकास विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उस समय मैंने कहा था और यह बात उठायी थी। उसके उत्तर में मन्त्री जी ने कहा था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। जो फैसला डी० आर० डी० ए० कमेटी करती थी और जिसके अनुसार 33 प्रतिशत बजट ऐलोकेशन जिलों के लिये होता था उस कमेटी में विधान मंडल और संसद् सदस्यों को उनकी सदस्यता से हटा दिया गया है, इसकी जानकारी मन्त्री जी को नहीं थी। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इस बात को ध्यान में रखते

हुये सदन में यह बात उठाते रहते हैं कि जिस समिति के अध्यक्ष सरकारी अधिकारी हों उसकी सदारत में माननीय सदस्यों को नहीं बैठना चाहिए और यह कहा गया कि उसकी अध्यक्षता कोई सदस्य ही करेंगे और उसमें जो निर्णय लिये जायेंगे उनका एक्जीक्यूशन होगा। आपने तो यह कर दिया कि विधायकों को उसमें से निकाल ही दिया जब कि हम उसमें सदस्य के रूप में बैठते थे।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वही कह रहा हूँ। पहले हम दबाव डालकर भी कोई फैसला नहीं ले पाते थे अब तो आपने हमें सदस्यता से ही समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार से जो आपने अनुरोध किया कि विधायकों के बारे में क्या नीति होनी चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार को पूरा संदर्भ देते हुये कि इस-इस तरह की शंका होती रहती है, प्रिसाइडिंग ओफीसर्स का भी अभिमत है, और इस-इस परिस्थिति में क्या रूपरेखा बनायी जाय, माननीय सदस्य उसमें रह सके। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने भारत सरकार को लिखा था, उसे पूरा पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं उस पत्र को पढ़ देता हूँ.....

जो भारत सरकार को पत्र लिखा था वह 17-4-82 का है उसमें लिखा है—विषयः जिला ग्राम अधिकरणों में संसद् सदस्य/विधायकों को अध्यक्ष बनाया जाना। महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि जिला ग्राम अधिकरणों का अध्यक्ष स्थानीय संसद् सदस्य अथवा विधायक को मनोनीत किया जाय। भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार अभी तक इन अभिकरणों में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी को ही अध्यक्ष मनोनीत किया गया है तथा जिलाधिकारी को ही अभिकरण की धनराशि के आहरण एवं वितरण के अधिकार प्राप्त हैं। इस संदर्भ में प्रदेश शासन का सुझाव है कि यह अधिकार जिलाधिकारी के पास पूर्ववत् रहें तथा जिलाधिकारी इन अभिकरणों के उपाध्यक्ष मनोनीत किये जाँय।

2. इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से पूर्व भारत सरकार की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें तथा भारत सरकार के अभिमत से प्रदेश शासन को अतिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो मेरी शंका थी वह सही साबित हुई। मैंने इनका गोपनीय पत्र तो नहीं देखा था लेकिन इनके जो कार्यकलाप हैं, झूठ बोलने का उसका पर्दाफाश हो गया। प्रदेश सरकार ने स्वतः कहा है कि वे जिलाधिकारी को अध्यक्ष कायम रखना चाहते हैं। इस संदर्भ में प्रिसाइडिंग आफिसर्स कान्फ्रेन्स तथा अध्यक्ष पीठ से भी यह बात स्पष्ट कह दी गयी है। मैं

जानना चाहता हूँ कि जब इस सदन में एक राय बनी कि जिलास्तर की समितियों में विधायकों को अध्यक्ष होना चाहिये तो फिर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने की क्या जरूरत पड़ गयी। राज्य सरकार का पैसा है, हाँ यह जरूर है कि मैचिंग ग्राण्ट केन्द्र सरकार से मिलती है लेकिन मूल रूप से हमें उसे खर्च करना है, अनुसंरक्षण हमें करना है। तो सरकार ने पूरी बात उनको न लिखकर कि हम डिस्ट्रिक्टो प्लान में विधान सभा मन्डल के सदस्यों की देखरेख में इसे बनाना चाहते हैं इस पूरी बात को न लिख कर अधूरी बात लिख कर अनुमति प्राप्त करने की क्या जरूरत थी ? तथ्य छिपाकर भारत सरकार को गुमराह करने की कोशिश की गयी। तो क्या सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करने की कृपा करेगी कि माननीय विधायक उन समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और जिलाधिकारीगण उसके सदस्य के रूप में रहेंगे और एक्जीक्यूशन का काम करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, पत्र से स्वतः स्पष्ट है जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि हमारे यहाँ फैसला इस प्रकार का हो गया है कि जो समितियाँ जिलों की हैं, जिनके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, उनमें जिलाधिकारी उपाध्यक्ष हो और विधायक और संसद् सदस्य उनके अध्यक्ष बना दिये जांय इसकी अनुमति भारत सरकार से मांगी। लेकिन भारत सरकार इससे सहमत नहीं हुई। उसका कारण आप कहते हैं कि पैसा हमारा है लेकिन 50 परसेंट पैसा भारत सरकार देती है और उनके निर्देश के अनुरूप हम पैसा खर्च करते हैं तो समस्त कार्यवाही उनके निर्देशों के अनुरूप करते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, शिष्टाचार का जो क्रम है उसमें मुख्य सचिव का नम्बर विधान सभा सदस्यों के बाद आता है और केवल जिला परिषद् का अध्यक्ष जिलों में पहले आता है, इसलिए कि वह भी जनता का प्रतिनिधि होता है। प्रिस इंडिग आफिसर्स के निर्णय को सामने रखते हुए उन स्थानों में जो जिलों में समितियाँ काम करती हैं उनमें रोटेशन से अध्यक्षता होती है। तो इस पर पुनर्विचार ही नहीं करेंगे बल्कि केन्द्र सरकार को सुझाव के तौर पर लिखेंगे कि इन समितियों के जो अध्यक्ष हों वह विधायक हों, या एम० पी० हों या नान-आफिसियल्स हों और जिलाधिकारी एक्जीक्यूटिंग आथोरिटी के रूप में काम करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जहाँ तक ग्राम्य विकास अभिकरणों के अध्यक्ष का प्रश्न है या उपाध्यक्ष का प्रश्न है उसमें सरकार ने लिखकर भेजा कि जिलाधिकारी उपाध्यक्ष बना दिये जाँय और माननीय सदस्य उसमें अध्यक्ष रहें। जो वित्तीय पावर्स हैं या जो कार्य-संचालन है उसको उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी सम्पन्न करें।

जहाँ तक रोटेशन का सवाल है या जिलाधिकारी को हटा कर मा० सदस्यों को उसमें रोटेशन से अध्यक्ष बनाया जायेगा तो हमारे सामने दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। जैसे वित्तीय सैंक्शन या और जो काम होने हैं उसमें दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। क्योंकि एक मीटिंग में एक मा० सदस्य प्रेसाइड करेंगे, दूसरी मीटिंग में दूसरे और तीसरी मीटिंग में तीसरे माननीय सदस्य प्रेसाइड करेंगे, इस दृष्टि से भारत सरकार को लिखा गया था कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाये और जिलाधिकारी को उपाध्यक्ष बना दिया जाये।

लेकिन जहाँ तक आपका सुझाव है कि इस पर विस्तार से भारत सरकार को लिखकर अवगत करा दिया जाये कि जो इस तरह के यहाँ सदन में निर्णय हुये हैं, तो मैं आपकी राय से सहमत हूँ और सम्पूर्ण मामले को विस्तार से भारत सरकार को लिख दिया जायेगा और उनकी राय ले ली जायेगी।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन्त्री जी ने संसदीय विभाग के एक पत्र का हवाला देकर कि अनेक बार इस प्रकार के आदेश हुये कि जिस कमेटी के अध्यक्ष जिला अधिकारी हैं, उसमें मा० विधायक शामिल न हों और उस कमेटी में न रहें, तो मैं कहना चाहूँगा कि यह तो एक आड़ लेने की बात है क्योंकि हम समस्त विधायक अनेक ऐसी समितियों में सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं और हम उसमें शामिल होते हैं। जिला ग्राम्य विकास अधिकरण में लघु सीमान्त कृषकों की योजना को शामिल करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना इसमें शामिल है और जितना धन भारत सरकार और प्रदेश सरकार का एन० आर० इ० पी० में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में देती है उसको जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के माध्यम से प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति होती है। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि हम मा० विधायक अपने क्षेत्र के संबंध में यह मानकर भी कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि विधायकों को रोटेशन में अध्यक्ष बनायें, जिलाधिकारी को अध्यक्ष होना चाहिये, अपने गौरव को विधायक समाप्त करके अपने क्षेत्र के हित को ध्यान में रखकर, क्या मंत्री जी आदेश करेंगे कि पूर्व में जिस तरह हम बैठकों में जाते थे, और जिलाधिकारी समिति का अध्यक्ष होता था, तो उसमें क्या आप विधायकों को सदस्य बनाने के आदेश देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण मामला है और इस संबंध में जो मा० सदस्य ने प्रश्न किया है तो मैं निवेदन करूँगा कि मान्यवर, आप सभी नेताओं को बुलाकर जो आप निर्देश देंगे उसके अनुसार जी० ओ० में एमेन्डमेन्ट कर दिया जायेगा।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, अक्सर इस सदन में मीटिंगों की अध्यक्षता को लेकर यहाँ सवाल होते रहे और मा० सदस्य भी हमेशा एजीटेट करते रहे कि उनको अध्यक्षता का राइट होना चाहिये और जिलाधिकारी को उनके अन्डर में काम करना चाहिये। लेकिन इस सदन के परिसर के बाहर हम माननीय सदस्यों की कोई भी मान्यता न प्रशासन में और न विकास कार्यों में है। इसलिये ग्राम्य विकास की जो समितियाँ बनी हैं उसमें क्या मंत्री जी ऐसे कोई निर्देश जारी करेंगे जिससे इस विधान सभा के सदस्यों को उनमें न रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, इस प्रश्न पर यहाँ अनेक बार विचार हो चुका है। जो मा० मुख्य मंत्री हैं वह जब अध्यक्ष की पीठ पर आसीन थे तो उन्होंने भी सभी नेताओं की मीटिंग बुलायी थी और उसमें एक फैसला भी हुआ था।

मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता कि इस संबंध में प्रीसाइडिंग आफिसर्स की कान्फ्रेन्स में त्रिवेन्द्रम में जो फैसला लिखा लिया गया था क्या उस फैसले से अवगत पुनः केन्द्रीय सरकार को करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह बात केन्द्रीय सरकार के संज्ञान में ला दी जायेगी ।

साथ ही अध्यक्ष जी मैं यह निवेदन करूँगा कि इस संबंध में आप सभी दलों के माननीय नेताओं की एक बैठक अपने यहाँ बुला ले, उसके पश्चात् जो आपका आदेश होगा वह पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट के समय यह बताया था कि दो शासनादेश ऐसे निर्गत हुये हैं उनके विभाग से जिनको उनकी जानकारी नहीं है, और वह बिना उनकी अनुमति लिये जारी हो गये हैं । यह इस बात को बताता है कि किस तरह से आज नौकरशाही सर उठा रही है और हावी है । यह जो शासनादेश जारी हुये हैं, उनमें एक यह आदेश भी शामिल है तो बिना माननीय मन्त्री जी के जो यह आदेश जारी कर दिये गये, उसके लिये वे क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह शासनादेश बगैर मेरी जानकारी में लाये अवश्य जारी हुआ है लेकिन....(विरोध पक्ष से शेम शेम की आवाजें) इस संबंध में मैं इतना बतला देना चाहता हूँ कि इस संबंध में निर्णय तो यह विधान सभा और विधान परिषद् ले चुकी थी और सदन के निर्णय के अनुसार ही वह आदेश जारी हुआ है । चूँकि यह सदन का ही निर्णय था इसलिये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

( व्यवधान )

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है, मैं माननीय नेताओं की बैठक बुलाऊँगा, उसके बाद जो निर्णय होगा वह लागू होगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बिना उनकी अनुमति लिये और बिना उनकी जानकारी में लाये हुये दो शासनदेश जारी कर दिये गये जिसमें एक यह भी था । तो जब आपकी जानकारी में यह बात आयी तो आपने अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने इस शासनादेश के बारे में बताया । दूसरे के बारे में मैं जानकारी कर रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष--

12.20 ( व्यवधान ) हो चुके हैं । प्रश्नों का समय अब समाप्त हुआ । मैं किसी को अब इजाजत नहीं दे रहा हूँ ।

( व्यवधान )

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों को देखें, उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं । ( व्यवधान ) मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । ओझा जी आप बैठ जायें, 12 बज कर 20 मिनट हो गये हैं, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया । आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो चर्चा करायें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

तो आप चर्चा की इजाजत दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप लिखकर भेजिये ।

## उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियाँ

**2 श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियाँ नवम्बर 1982 के बाद कर दी गई हैं ? क्या यह सही है कि नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 4 (2) के अनुकूल नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों और शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

नियुक्तियाँ दिनांक 1 नवम्बर, 1982 को की गयीं जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 4 (2) के अनुकूल हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## अतारांकित प्रश्न

## जिला सुल्तानपुर के ग्राम सभा रजखेता तथा रसूलपुर के संबंध में न्याय पंचायत के गठन पर विचार

1--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रक्षता विकास खण्ड, जगदीशपुर तथा ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड सुकुल बाजार जिला सुलतानपुर में है क्या यह सत्य है कि

नोट :- अलासूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

विधान सभा

ग्राम रक्षता विकास खण्ड शुकुल बाजार से निकट है तथा ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर से 2 कि० मी० और विकास खण्ड बाजार शुकुल से 12 कि० मी० की दूरी पर है ? यदि हां, तो ग्रामवासियों की सुविधा के लिये ग्राम सभा रक्षता की न्याय पंचायत ऊंचगाँव अथवा महोना पच्छिम में और ग्राम सभा रसूलपुर की न्याय पंचायत सिन्दुखा में किये जाने पर विचार करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम सभा रजखेता विकास खण्ड जगदीशपुर तथा ग्राम सभा रसूलपुर विकास खण्ड बाजार शुकुल जनपद सुल्तानपुर में है। ग्राम सभा रजखेता विकास खंड बाजार शुकुल के निकट है किन्तु बीच में एक नाला है जिस प कोई पुल नहीं है। जिसके कारण ग्राम सभा रजखेता की दूरी विकास खंड बाजार शुकु के मुख्यालय से महोना होकर जाने पर 12 कि० मी० तथा ऊंचगाँव होकर जाने पर 9 कि० मी० है।

गाँव सभा रसूलपुर विकास खंड मुख्यालय जगदीशपुर से 5 कि० मी० दूर पर है और विकास खंड बाजार शुकुल के मुख्यालय से 12 कि० मी० की दूरी पर है। उक्त गाँव सभाओं के सम्बन्ध में न्याय पंचायतों के पुनर्गठन का मामला शासन के विचाराधीन है।

## जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी में श्रीमती कमला देवी नाम की दोनों अध्यापिकाओं द्वारा आहरित किया गया वेतन

2--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विसान सभा 1982 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के क्रम में शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अध्यापक के माध्यम से संबंधित अध्यापिका को वेतन आहरित कराया गया था ? क्या वह अध्यापिका उसी विद्यालय में तैनात थी ? यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसा नियम है कि बिना अधिकार पत्र के किसी का वेतन किसी भी अध्यापक को आहरित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो उक्त माह का वेतन भुगतान कैसे कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू० बे० वि०, सफेदाबाद के अवकाश निर्णय न होने के कारण राजकोष में जमा किया वेतन, अवकाश सम्बन्धी औपचारिकताएँ, चिकित्सा प्रमाण पत्र को मुख्य चिकित्सालय से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश

3—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

1982 के द्वितीय सत्र के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के

क्रम में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह अक्टूबर 79 का वेतन बैंक में जमा करने के आदेश प्रधानाध्यापक को दिये गये थे ? यदि नहीं, तो अध्यापिका का वेतन बैंक में जमा करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद का वातावरण दूषित होने के कारण तथा वहाँ अध्यापकों के मध्य विवाद एवं तालमेल के अभाव में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने माह अक्टूबर, 1979 का वेतन दिनांक 6-11-79 को वितरण हेतु प्रधान अध्यापक को इस निर्देश के साथ दिया था कि एक सप्ताह में वेतन वितरित करके वेतनावली उपविद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में भेज दें। श्रीमती कमला देवी के अवकाश पर निर्णय न होने के कारण प्रधान अध्यापक ने प्रतीक्षा के उपरान्त 22-11-79 को श्रीमती कमला देवी का वेतन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पी०एल०ए० में जमा कर दिया और वेतनावली उपविद्यालय निरीक्षक को वापस कर दिया। सरकारी धन को अधिक समय तक अपने पास न रखकर राजकोष में वापस जमा करके प्रधानाध्यापक ने उचित ही किया।

4—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

1982 के प्रथम सत्र के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के क्रम में शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह नवम्बर, 1980 का वेतन अब आहरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अवकाश की स्वीकृति सम्बन्धी सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो कार्य अवधि का वेतन इतने समय बाद आहरित करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

5—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के क्रम में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी द्वारा 10/80 के चिकित्सा प्रमाण-पत्र को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए कहा था ? यदि हां, तो सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा कार्यभार ग्रहण किस आधार पर कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका ने जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था उसकी तिथियों में ओवर राइटिंग होने के कारण प्रधानाध्यापिका ने उसे संदिग्ध पाकर दूसरा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था।

इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी के
अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के मध्य झगड़े की दर्ज रिपोर्ट

6—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा 1981 के द्वितीय सत्र के प्रथम मंगलवार के प्रश्न संख्या 127 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस असिस्टेन्ट टीचर ने दिनांक 29-8-80 को एफ० आई० आर० दर्ज कराई थी, वह वर्तमान में क्या उसी विद्यालय में तैनात हैं ? यदि नहीं, तो उसका स्थानान्तरण कब और कहां किया गया ? तथा स्थानान्तरण किए जाने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू० बे० विद्यालय, मेढ़िया,
बाराबंकी के वेतन का बकाया भुगतान न होने के विरुद्ध कार्यवाही

7—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू० बे० विद्यालय, मेढ़िया, बाराबंकी ने माह अप्रैल 1981 में अध्यापन कार्य किया ? यदि हां, तो उनका वेतन दो वर्ष बाद भी किन कारणों से नहीं आहरित किया गया ? ड्यूटी पे का भुगतान न होने का वास्तविक उत्तरदायी कौन अधिकारी/कर्मचारी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा में अमरूद तथा अन्य फलों का रस बनाने के
लिए कारखाना बनाये जाने की कथित योजना

8—श्री विजय सिंह राना—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में अमरूद तथा अन्य फलों का रस बनाने के लिए कोई कारखाना बनाए जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कारखाना आगरा में कहां बनेगा और कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषिमंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

जी नहीं।

आगरा जनपद में अमरूद तथा अन्य फलों का रस बनाये जाने के लिये कोई कारखाना स्थापित करने की योजना विचाराधीन नहीं है।

## सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा एल० टी० कालेज के प्रधानाचार्यों की पेंशन में असमानता को दूर करने का विचार

9—श्री कन्हैया लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी पेंशन नियमों के अनुसार राजकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों के प्रिंसिपलों एवं एल० टी० कालेज के प्रिंसिपलों को अवकाश ग्रहण करने के बाद कितनी-कितनी पेंशन मिलती है ? क्या यह सच है कि एल० टी० कालेज के प्रधानाचार्यों को जो इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों से पद में एवं वेतनमान में बड़ा होता है, पेंशन इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के मुकाबले में बहुत कम मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस असमानता को मिटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपलों को अवकाश प्राप्त करने पर नियमानुसार औसत दर पर पेंशन सरकारी कर्मचारी की भांति दी जाती है। वर्तमान में वेतन के पहले 1,000/-का 50%, अगले 500 रु० का 45%, शेष पर 40% की दर से पेंशन आगणित की जाती है।

सहायता प्राप्त एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त प्रिंसिपलों को लाभत्रयी योजनान्तर्गत 75 रु० प्रति माह की दर से सहायता दी जाती रही है।

चूंकि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपलों को शासकीय दर से पेंशन स्वीकृत है और एल० टी० कालेज के प्रधानाचार्यों को केवल लाभत्रयी योजनान्तर्गत सहायता दी जाती है। अतः दोनों को अवकाश प्राप्त करने के बाद दी जाने वाली धनराशि की तुलना नहीं की जा सकती।

एल० टी० कालेज के प्रधानाचार्यों को पेंशन दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

## आवासीय विद्यालय में स्कूल काउन्सलर के सृजित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था

10—श्री जंगबहादुर सिंह तथा

श्री बनवारी राम—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आवासीय विद्यालय में स्कूल काउन्सलर के 4 पद महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश संख्या(3)/2918/17डी-2(1)/82-83दिनांक 21जुलाई, 82 द्वारा दिनांक 28-2-83 तक के लिए सृजित किए गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही

है कि अब तक उक्त पद पर नियुक्तियाँ नहीं की गयीं ? यदि हाँ, तो नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन स्कूल काउन्सलर पद की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र नियुक्ति की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## लखनऊ मण्डल के राजकीय कन्या इन्टर कालेज में कार्यरत महिला प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान स्वीकृत किये जाने के निर्देश

11—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर कालेज में कार्यरत प्रवक्ताओं जिनकी सेवा 16 साल हो गयी है, को चयन वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश है ? यदि हाँ, तो क्या लखनऊ मण्डल के राजकीय कन्या इंटर कालेज में कार्यरत महिला प्रवक्ताओं को जिनकी सेवा 16 साल की हो चुकी है, उक्त चयन वेतनमान दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त निर्णय लागू कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। प्रश्नगत महिला प्रवक्ताओं जिनकी सेवा 16 वर्ष हो चुकी है, को नियमानुसार चयन वेतनमान स्वीकृत करने की औपचारिक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गये हैं।

12—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[10वें सोमवार के लिये स्थगित]

## लालती देवी सहायक अध्यापिका, प्राइमरी कन्या पाठशाला, अमोला के मुख्यालय बाबू द्वारा सस्पेन्शन एकाउन्ट से धन निकाल लेने के बारे में प्रार्थना पत्र

13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लालती देवी, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी कन्या पाठशाला, अमोला, शिक्षा क्षेत्र बसखारी, बलाक रामनगर, जिला फैजाबाद ने दिनांक 8-10-80 उप जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद व दिनांक 10-1-83 को मन्त्री जी को मुख्यालय बाबू द्वारा सस्पेन्शन एकाउण्ट से धन निकालने के बारे में प्रार्थनापत्र दिया है ? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

14—श्री नन्दकिशोर सिंह--

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15—श्री भोला पाण्डेय तथा

श्री प्रियदर्शी जेतली—

[10वें सोमवार के लिये स्थगित]

## उप शिक्षा निदेशक द्वारा बिजली के बिल का भुगतान

16—श्री भोला पाण्डेय तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित उपनिदेशक, शिक्षा कार्यालय व आवास एक ही भवन में था और दोनों का बिजली का मीटर एक ही है ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से मौजूदा उप निदेशक वहां रह रहे हैं तब से आज तक कुल बिजली का बिल कितना आया और इससे पहले कितना बिल आता रहा है ? क्या उप शिक्षा निदेशक ने अपने बिल का भुगतान किया है ? यदि हां, तो कब-कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

17--श्री राम स्वरूप वर्मा—

[10वें सोमवार के लिए स्थगित]

## लखीमपुर खीरी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र 'जयति पुष्प' में 'न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ धोखाधड़ी' के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को दिये पत्र पर कृत कार्यवाही

18--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता एवं अन्य विधायकों के हस्ताक्षरित पत्र संख्या 1578/81, दिनांक 25-11-1981, जिसके साथ लखीमपुर खीरी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र'जयति पुष्प' की दिनांक 10 अक्तूबर 1981 के अंक 47-48 की प्रति भी जिसमें संलग्न की गयी थी, 'न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ धोखाधड़ी' के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । शिक्षा निदेशक को आख्या भेजने हेतु आदेश दिए गये हैं ।

श्री विजय, प्रताप सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गाजीपुर द्वारा किए गए गलत कार्यों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

19—श्री झिलमिट राम तथा श्री साहब सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री विजय प्रताप, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गाजीपुर द्वारा किए गए गलत कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 6-10-82 के पत्र द्वारा जो आरोप लगाया था उस पर किस उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराई ? और उसके परिणाम के आधार पर उक्त अधिकारी को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । शिकायती पत्र पर अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, वाराणसी से जाँच करायी जा रही है ।

बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण को अधिक धन दिलाने के सम्बन्ध में माँग पत्र

20—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण को अधिक धन दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई माँग-पत्र दिनांक 23 अक्तूबर, 1982 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

सदस्य सचिव, बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण से अतिरिक्त धनराशि हेतु प्रस्ताव की माँग की गई है ।

विकास खण्ड कदौरा, जनपद जालौन में शिक्षकों को अनौपचारिक शिक्षण कार्य का भुगतान

*21—श्री शंकर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कदौरा, जनपद जालौन में सन् 1978-79 में जो अनौपचारिक शिक्षण कार्य कराया गया था, उसका वेतन शिक्षकों को कब तक दे दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासन द्वारा धनराशि आबंटित की जा चुकी है और शीघ्र ही सम्बन्धित शिक्षकों को वेतन प्राप्त हो जायगा ।

## जनपद फैजाबाद स्थित जिला परिषद् कार्यालय में रिक्त पदों का चयन

22—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेरबहादुर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद स्थित जिला परिषद् कार्यालय में रिक्त पदों के चयन के लिए शासन विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

## जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत सीनियर बेसिक विद्यालयों से विश्वविद्यालय स्तर तक बाढ़ग्रस्त छात्रों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति की माँग

23--श्री प्रदीपकुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत सरकारी घोषणा के तहत् सीनियर बेसिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेजों में अध्ययनरत बाढ़ग्रस्त छात्रों को वर्ष 1982-83 के लिए माह अक्तूबर से दिसम्बर तक उनके अभिभावकों की बाढ़ से 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति को दृष्टि में रखकर शिक्षण शुल्क से मुक्त किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 15-10-82 के शासनादेश द्वारा वर्ष 1982-83 में बाढ़ के कारण प्रभावित जनपदों में जिनमें बाराबंकी जनपद भी सम्मिलित है, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 7 से विश्वविद्यालय स्तर तक किसी कक्षा में अध्ययनरत ऐसे छात्रों को जिनके अभिभावकों की जोतों एवं उनके गाँव जहाँ के वे निवासी हों, की कृषि को 50% से अधिक की क्षति हुई हो, माह अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1982 के शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया है।

24--श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सन्दर्भित छात्रों का शिक्षण शुल्क वर्ष 1982-83 माह अक्तूबर से दिसम्बर तक जमा करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह शुल्क अगले महीने में व्यवस्थित (मुजरा) किया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## लखनऊ विश्वविद्यालय में एल० एल० एम० की कक्षा में एडमिशन तथा सीटों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने पर विचार, परीक्षायें एवं नये सत्र का आरम्भ

25—श्री जमुना प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पिछले लगातार कितने शैक्षणिक सत्र से एल० एल० एम० की कक्षा में एडमिशन किए जाने की कोई कार्यवाही सुनिश्चित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय के आगामी शैक्षिक सत्र में एल० एल० एम० की कक्षा की सीटों की वर्तमान संख्या में बढ़ोत्तरी करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विधि संकाय में सत्र 1980-81 में एल० एल० एम० कक्षा में एडमिशन दिये गये थे तथा एल० एल० एम० के छात्रों की परीक्षायें अप्रैल/मई 1981 में हुई थी। वर्ष 1977-78 से लागू किये गये सेमिस्टर सिस्टम में प्रतिवर्ष दो बार परीक्षायें करवाने का प्राविधान होने तथा लगभग चारों सेमिस्टर की परीक्षाओं में लगभग 100 पर्चों के कारण इस प्रणाली को चलाये रखना संकाय की शैक्षणिक क्षमता एवं उपलब्ध साधनों की दृष्टि से सम्भव नहीं था। अतएव एल० एल० एम० पाठ्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिये पाठ्यक्रम प्रणाली में परिवर्तन अनिवार्य था। विधि संकाय बोर्ड तथा विद्या परिषद् ने स्थिति पर समुचित विचार करके वर्तमान सत्र में सेमिस्टर सिस्टम को समाप्त कर पुनः पुराना पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। सत्र 1981-1982 में अतएव प्रवेश नहीं हो सका। वर्तमान सत्र में एल० एल० एम० में एडमिशन के लिये प्रवेश समिति ने संकाय में उपलब्ध वर्तमान साधनों को दृष्टि में रखते हुये 30 सीटें निर्धारित की हैं। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की संख्या विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अगले सत्र के लिये एल० एल० एम० कक्षा में सीटों में वृद्धि का मसला प्रवेश समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।

26—श्री जमुना प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की एल० एल० एम० की कक्षा की सत्र 82-83 एवं सत्र 83-84 को कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

एल० एल० एम० कक्षाओं की परीक्षायें सोलह मार्च, 1983 से हो रही हैं। इन परीक्षाओं के उपरान्त नये सत्र के लिये प्रवेश प्रारम्भ होंगे।

## ग्राम सुरावली, जनपद जालौन के सम्पर्क मार्ग का निर्माण

27—श्री दलगंजन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सुरावली विकास खंड

कुठौंद, जनपद जालौन का सम्पर्क मार्ग कब तक बनकर पूरा हो जायेगा ? अभी तक मार्ग न बनाये जाने के कारण क्या थे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में जिला स्तर से स्पष्ट सूचना प्राप्त की जा रही है ।

28-- 29—श्री हरिवंश सहाय,

श्री झग्गड़ सिंह,

श्री जसवन्त सिंह विष्ट,

श्री रुद्र प्रताप सिंह, तथा

श्री विद्या सागर नौटियाल--

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित]

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता की अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का आधार

30--श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता को अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत सितम्बर, 1977 में अधिशासी अभियन्ता के पद पर बिना विभागीय प्रस्ताव के प्रोन्नत किया गया था ? यदि हां, तो जब उनका कार्यकाल 27-1-82 को कार्यभार से मुक्त होने के पश्चात् समाप्त हो गया तो दुबारा विदेश से लौटने से पश्चात् 5 अगस्त, 1982 को पुनः बिना शासन के प्रोन्नति आदेश के उन्हें अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार किस आधार पर दिलाया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल से सहायक अभियन्ता के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता का कार्य लेने के सम्बन्ध में निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से, श्री गोयल को दोहरा भत्ता देने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था । शासन द्वारा इस मामले पर विचारोपरान्त स्थायी प्रबन्ध होने तक श्री गोयल सहायक अभियन्ता को दिनांक 6 सितम्बर, 77 से अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नति प्रदान की गई । दिनांक 27-1-82 को विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु श्री गोयल को विभाग से कार्यमुक्त किया गया । विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 5-8-82 को इन्हें इसी विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर जैसा कि यह पहले से ही कार्यरत थे, कार्यभार ग्रहण करा दिया गया । इस बारे में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पुनः आदेश प्रसारित करना आवश्यक नहीं था ।

31--श्री कुबेर भण्डारी—

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित]

32—श्री तपेश्वर--

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित]

निरीक्षक संवर्ग की पदोन्नतियों हेतु किये गये प्रयास

33--श्री तपेश्वर—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि निरीक्षक संवर्ग की पदोन्नतियां क्यों रुकी हुई हैं ? शासन तथा विभाग की ओर से इस दिशा में कौन से प्रयास किये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम दिथउपुर तथा ग्राम धामना से दमरास सम्पर्क मार्ग पर किये गये मिट्टी के कार्य से मजदूरों की मजदूरी

34--श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सच है कि ग्राम दिथउपुर तथा ग्राम धामनी से दमरास विकास खण्ड महेवा, जनपद जालौन में जो सड़कों पर मिट्टी का कार्य हुआ था उसकी मजदूरी ग्राम खडगुई मुस्तिकल के मजदूरों को अभी तक नहीं मिली है ? यदि हां, तो मजदूरी कब तक दे दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम दिथउपुर तथा ग्राम धामना से दमरास सम्पर्क मार्ग पर किये गये मिट्टी के कार्य से सम्बन्धित मजदूरों की मजदूरी का कोई भुगतान शेष नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त बेसिक विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण, स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की माँग

35—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कितने बेसिक विद्यालय भवन 31-1-83 को क्षतिग्रस्त हैं और सरकार इन भवनों की मरम्मत पुनर्निर्माण की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक इन क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कराई जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

**36—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण सुविधायें समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अव्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है ? सभी विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के सीनियर बेसिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति

37—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सीनियर बेसिक विद्यालयों में पाँच अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या सभी सीनियर बेसिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के गजपुर व भौवापार में महाविद्यालय खोलने की मांग

38—श्रीमती गौरी देवी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के गजपुर व भौवापार में महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विद्यालयों की स्थापना कब तक हो जाने की आशा है ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं। क्योंकि गोरखपुर जनपद में उच्च शिक्षा की प्रचुर सुविधायें उपलब्ध हैं।

39—श्री मोती लाल देहलवी—

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित]

## श्री राम स्वरूप निम और श्री भगवान दीन कुशवाहा आदि विधायकों का आबकारी विभाग के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

40—श्री मोती लाल देहलवी—

दिनांक 1 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या आबकारी आयुक्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत मामले में आबकारी आयुक्त ने आरोपों की जांच कर ली है ? यदि हाँ, तो तथ्य क्या हैं और अब तक उस आबकारी आयुक्त के पी० ए० श्री एम० एम० सिद्दीकी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं।

बाद में शिकायती पत्र जांच हेतु मंडलायुक्त, इलाहाबाद को भेज दिए गए।

41—श्री मोती लाल देहलवी—

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित]

42—श्री मोती लाल देहलवी—

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित]

## फैजाबाद स्थित जिला परिषद् अध्यक्ष के फर्नीचर व क्राकरी के बकाया की वसूली

43—श्री मुख्तार अनीस—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 से 75 व 75 से 76 व 76 से 10 अगस्त 1977 तक फैजाबाद स्थित जिला परिषद् अध्यक्ष आवास का कितना किराया फर्नीचर क्राकरी का किराया व दाम बाकी है ? उक्त धन की वसूली के लिए क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1974 से 10 अगस्त, 1977 तक का फैजाबाद स्थित जिला परिषद् अध्यक्ष के आवास का कोई किराया नहीं बाकी है।

फर्नीचर व क्राकरी का रु० 1703.02 (एक हजार सात सौ तीन रुपये दो पैसे मात्र) बकाया है जिसकी वसूली हेतु न्यायालय में बाज दायर की कार्यवाही की जा रही है।

## जिला परिषद् आवास के दूरभाष के बिल की अदायगी

44—श्री मुख्तार अनीस—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 से 10 अगस्त, 1977 तक जिला परिषद् आवास, फैजाबाद के दूरभाष का कितना बिल बकाया है और अब तक उक्त बिल की अदायगी के लिये सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद् आवास के दूरभाष का 1974 से 10 अगस्त 1977 तक का कोई बिल बकाया नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

45—श्री मोती लाल देहलवी—

[10वें सोमवार के लिये स्थगित]

## साऊघाट विकास खंड, जिला बस्ती की सड़क सिसवा मार्ग छपिया लुटावन अमचान्दी जाने वाली सड़क पर निर्माण कार्य

46—कु० अलमेलु अम्माल—

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साऊघाट विकास खंड, जिला बस्ती की सड़क सिसवा मार्ग छपिया लुटावन आम चान्दी जाने वाली सड़क एन० आर० ई० पी० योजना में सन् 81-82 में स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क अब तक अधूरी बनी है ? यदि हां, तो शेष तीन किलोमीटर सड़क की सोलिंग का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ? सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी बस्ती से सूचना प्राप्त की जा रही है।

## डिप्टी इन्सपेक्टर, जौनपुर द्वारा अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन देने में अनियमितता करने की शिकायत

47—श्री भीखालाल

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के प्रतिनिधियों ने दिनांक 10-1-83 को शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रार्थना पत्र देकर यह शिकायत की है कि डिप्टी इन्सपेक्टर, जौनपुर अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन देने में अधिक

अनियमितता करते रहे हैं ? यदि हां, तो इसकी जाँच किसके द्वारा कराई गई और जाँच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## सुहवल इन्टर कालेज, गाजीपुर के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

48—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुहवल इन्टर कालेज, गाजीपुर के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में शासन ने 7-6-80 को जिलाधीश, गाजीपुर से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव माँगा था और जिलाधीश ने 29-9-81 को उक्त प्रस्ताव शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेज दिया था ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ, सम्प्रति ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

बजट में इस हेतु प्राविधान नहीं है ।

49—श्री मुख्तार अनीस तथा

श्री प्रदीप कुमार यादव—

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित]

## प्रदेश के एल० टी० टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित सुविधाओं की माँग

50—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के सभी छः निजी क्षेत्र वाले एल० टी० टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों में अभी तक वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित नवीन वेतनमान, मकान किराया भत्ता तथा नई पेंशन दरें आदि की सुविधाएँ लागू नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इन सुविधाओं को शासन कब तक लागू कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

स्व० श्रीमती लज्जा रानी निगम, बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के अवशेष वेतन, पेंशन, सेवा निवृत्ति आदि बकाया का भुगतान

51—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बांदा की स्व० श्रीमती लज्जा रानी निगम बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला) के अवशेष वेतन, सेवा निवृत्ति लाभ, पेंशन आदि का भुगतान 31 दिसम्बर, 1982 तक कर दिया गया है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

स्व० श्रीमती निगम 3-1-78 से लगातार अर्जित/चिकित्सीय अवकाश पर रहीं और उसी क्रम में दिनांक 10-12-1978 को उनका निधन हो गया। दिनांक 3-1-78 से 15-8-78 तक उनको कुल देय अर्जित/चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है। पर उक्त अवधि के बाद उनका अवकाश प्रार्थना पत्र अनिश्चित काल के लिए बन्द था और मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र भी उन्होंने नहीं भेजा था। अतः यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है कि उन्हें दिनांक 16-8-78 से उनके निधन की तिथि तक किस प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाय। यह अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही उनकी सेवा-पंजी पूर्ण कर पेंशन पत्रजात तैयार करना संभव हो सकेगा।

एशियाई खेलों में पदक प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को इनाम देने का निर्णय

52—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या 1982 में सम्पन्न एशियाई खेलों में पदक प्राप्त करने वाले उ० प्र० के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देने का निर्णय शासन ने कर लिया है ? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विगत एशियाई खेल 1982 में पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहायता देने का निर्णय शासन ने लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जैसे ओलम्पिक्स, कामनवेल्थ तथा एफ्रो-एशियन खेलकूद प्रतियोगिताओं के परिमाणों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निवासी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(क) उक्त अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को क्रमशः रुपया एक लाख/पचास हजार/पच्चीस हजार की सहायता भूखण्ड/डाइट मनी आदि के रूप में दी जायगी।

(ख) उक्त अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में टीम गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने

वामी टीम में प्रदेश के मूल निवासी प्रत्येक खिलाड़ी को रुपये पच्चीस हजार की सहायता भूखण्ड/डाइट मनी आदि के रूप में दी जायगी ।

## जनपद बाँदा में सूखी जमीन पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान के विकास एवं प्रसार हेतु कार्यवाही

53— प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जून, 1980 से अब तक सूखी जमीन पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान के विकास एवं प्रसार हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ? और तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

बांदा जनपद में सूखी जमीन पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान के विकास एवं प्रसार हेतु खरीफ एवं रबी की फसलों की बुवाई के पूर्व जनपद, खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर कृषक गोष्ठियों का आयोजन करके अधिकारियों, प्रसार कार्यकर्त्ताओं एवं कृषकों को शुष्क खेती का प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रदर्शन आयोजित किये गये एवं कृषक साहित्य का वितरण किया गया । उपरोक्त कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.....1070पर)

## जनपद बांदा में दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को प्रदान की गई सुविधायें

54—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा में जून, 1980 से अब तक दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

बांदा जनपद में दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा समुचित कृषि निवेशों की सामयिक व्यवस्था की गई । चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र में भेजा गया ।

फसलवार प्रशिक्षण बुवाई के समय से पूर्व विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये गये । इसके अतिरिक्त दलहन तथा तिलहन योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को बीज प्रदर्शन, कृषि रक्षा, रसायन एवं कृषि रक्षा उपचार पर अनुदान भी उपलब्ध कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नबी हसन, जूनियर हाइड्रोलाजिस्ट, केन्द्रीय भूजल परिषद् को प्रथम श्रेणी में जियोहाइड्रोलाजिस्ट के अस्थायी पद पर संविलीन कर लिया जाना

55—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1973 में भारत सरकार के केन्द्रीय भूजल परिषद् के जूनियर हाइड्रोलाजिस्ट (श्री नबी हसन) को राज्य सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेशीय भू गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी में जियोहाइड्रोलाजिस्ट के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया था एवं उपरोक्त अधिकारी वर्ष 1973 में अपनी पैतृक सेवा में द्वितीय श्रेणी के सहायक हाइड्रोजियोलाजिस्ट के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिये गए थे तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने उपरोक्त अधिकारी को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार प्रथम श्रेणी के पद का वेतन आहरण करने पर प्रतिबन्ध लगा रखा था ? क्या यह सही है कि शासन ने इन्हें प्रथम श्रेणी सेवा में ही 4 वर्ष पूर्व की तिथि से अस्थायी पद के विरुद्ध स्थायी रूप में संविलीन कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री नबी हसन, जूनियर हाइड्रोलाजिस्ट, केन्द्रीय भूजल परिषद्, भारत सरकार को राज्य सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत नहीं लिया था बल्कि उन्हें, वर्ष 1973 में जब यह विभाग सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था, प्रतिनियुक्ति पर श्रेणी प्रथम के जियोहाइड्रोलाजिस्ट के पद पर सिंचाई विभाग के आदेशानुसार लिया गया था। श्री नबी हसन को उनके पैतृक विभाग द्वारा श्रेणी द्वितीय के सहायक हाइड्रोजियोलाजिस्ट के पद पर पैतृक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 6-4-1976 द्वारा दिनांक 24-11-73 (अपराह्न) से प्रत्यावर्तित किया गया था। यह सत्य नहीं है कि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उनको श्रेणी प्रथम का वेतन आहरण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। महालेखाकार ने श्री नबी हसन द्वारा वास्तविक आहरित वेतन तथा श्रेणी द्वितीय में प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उनके मौलिक पद के पुनः निर्धारित वेतन में भिन्नता, यदि कोई हो, को वसूल किये जाने की बात उठाई थी। उक्त नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात् शासन की विज्ञप्ति दिनांक 21-7-1981 द्वारा श्री नबी हसन को दिनांक 4-12-1977 से जियोहाइड्रोलाजिस्ट के अस्थायी पद के विरुद्ध संविलीन कर लिया गया है, क्योंकि यह पद एक विशिष्ट तकनीकी पद है जिस पर श्री नबी हसन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये मंत्रिमंडल के अनुमोदन से उन्हें राज्य सरकार की सेवा में संविलीन कर लिया गया।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में श्रेणी-2 के अधिकारियों की नियमित, नियुक्ति, प्रथम श्रेणी के पद पर प्रोन्नति, श्री नबी हसन को उच्च पद पर प्रोन्नति करने की कथित कार्यवाही

56—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में राजपत्रित अधिकारियों की नियमित स्थापना केवल द्वितीय श्रेणी सेवा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से ही किए जाने का प्राविधान है तथा प्रथम श्रेणी का पद केवल प्रोन्नति द्वारा ही भरा जाता है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में श्रेणी–2 के अधिकारी की नियमित नियुक्ति सामान्यत: लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है तथा प्रथम श्रेणी का पद सामान्यत: प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है ।

*57—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

यह भी सही है कि अब उपरोक्त अधिकारी को नियमित रूप से चयनित विभागीय अधिकारियों के ऊपर स्थापित कर इन्हें उच्च पद पर प्रोन्नति करने की कार्यवाही भी शासन द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उपरोक्त अधिकारी, श्री नबी हसन को जनहित में दिनांक 4-12-1977 से श्रेणी–1 में किये गये संबिलयन के फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4-12-77 से श्रेणी–1 में वरिष्ठता प्रदान कर दी गई है । श्री नबी हसन को उच्च पद पर पदोन्नति करने का इस समय कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

## गन्ना विकास इण्टर कालेज मुण्डेरवा, बस्ती को कृषि स्नातक स्तर की कक्षायें चलाने की कथित स्वीकृति

58—श्री राम आसरे पासवान—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास इण्टर कालेज, मुण्डेरवा, बस्ती को कृषि स्नातक स्तर की कक्षायें चलाने की स्वीकृति देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी इण्टर कालेज के स्नातक स्तर की कक्षाओं की अनुमति देना सम्भव नहीं है क्योंकि डिग्री कालेज एक पूर्णतया अलग इकाई होता है ।

## ग्राम उदनपुर से कुसमरा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कथित प्रस्ताव

59—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन में विकास खण्ड कदौरा के ग्राम उदन-

पुर से कुसमरा तक मण्डी समिति द्वारा जो मार्ग बनाया गया था उसको कब तक पक्का कर दिया जायगा और पुलियों का निर्माण कर दिया जायगा ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नगत कार्यों को पूरा करने हेतु मण्डी समिति को कोई धन आबंटित नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मण्डी समितियाँ अपने फण्ड से सम्पर्क मार्गों पर कोई धन व्यर्थ नहीं कर सकती हैं। अतः प्रश्नगत कार्यों को पूरा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## श्रीकृष्ण हाई स्कूल, हाता पोस्ट बंकुल, जिला देवरिया को जूनियर हाई स्कूल की स्थायी मान्यता तथा अनुदान

60—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीकृष्ण हाई स्कूल, हाता पोस्ट बंकुल, जिला देवरिया को जूनियर हाई स्कूल की स्थायी मान्यता किस तिथि को मिली थी ? इस विद्यालय को जूनियर स्कूल के अनुदान में क्यों नहीं लिया गया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## ग्राम भवानी छापर में जिला परिषद्, देवरिया द्वारा आबंटित पट्टे तथा जिला परिषद् की भूमि पर अवैध गुमटी के निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

61—श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम भवानी छापर में जिला परिषद्, देवरिया ने कितने पट्टा किसके-किसके नाम माह नवम्बर व दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी, 1983 में किया है ? उसका सालाना कितना किराया निश्चित किया गया है तथा कितना रुपया प्रत्येक पट्टेदारों ने जिला परिषद्, देवरिया में जमा कर दिया है ? क्या पट्टेदारों से अनुबन्ध हो गया है ? तथा नक्शा नजरी बन गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद्, देवरिया द्वारा भवानी छापर ग्राम में भिगारी भवानी छापर सड़क की पटरी पर 7 व्यक्तियों को संलग्न तालिका के अनुसार उनके सम्मुख अंकित सिक्योरिटी, रायल्टी, मासिक एवं सालाना लाइसेंस शुल्क (किराया) पर आबंटित की गयी।

उपरोक्त आबंटियों में क्रमांक 1 व 2 द्वारा कोई धन जमा नहीं किया गया है। क्रमांक 3 से 7 द्वारा सिक्योरिटी, रायल्टी एवं 3 माह के लाइसेंस शुल्क (किराये) के बराबर धन जमा

किया है तथा इकरारनामा भी लिख दिया गया है। आबंटन सम्बन्धी का नक्शा नजरी भी बना है, परन्तु कब्जे के समय ग्रामवासियों द्वारा सार्वजनिक भूमि होने के कारण प्रबल विरोध किया गया जिससे आबंटन निरस्त कर दिया गया।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ.....1071.....पर।)

62—श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम भवानी छापर में जिला परिषद् की भूमि में 17 दूकानें अवैध रूप से पक्का व कच्चा तथा गुमटी डालकर बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 20-1-83 के साथ संलग्न श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, उक्त पत्र शासन को दिनांक 1-2-83 को प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद्, देवरिया को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।

## स्व० श्री फूल बदन राय, सहायक अध्यापक, जू० हाई स्कूल, बड़ागांव की सामूहिक जीवन बीमा एवं प्राविधायी निधि की धनराशि का भुगतान

63—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री फूल बदन राय, सहायक अध्यापक, जू० हाई स्कूल, बड़ागांव, विकास खण्ड रानीपुर, आजमगढ़ की मृत्यु कार्यरत रहते हुए दिनांक 18-1-78 को हो गयी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को सामूहिक जीवन बीमा एवं प्राविधायी निधि की धनराशि भुगतान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

## जिला बहराइच में कार्यवाहक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई लिपिकों की नियुक्तियों का आधार

64—श्री सुरेशदत्त पालीवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में कार्यवाहक बेसिक शिक्षा अधिकारी (श्री ऋषिनाथ) ने अक्तूबर, 1982 में पांच लिपिकों की नियुक्तियां किस आधार

पर की हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन पांच में से एक लिपिक अनिल कुमार उक्त कार्यवाहक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पुत्र हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा विभाग, जौनपुर में जू० हाई स्कूलों में नियुक्त उर्दू अध्यापकों के ग्रेड में असमानता

65—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग, जौनपुर में शिक्षा निदेशक के आदेश संख्या उर्दू/2434-2560/82-83 दिनांक 17 सितम्बर, 1982 के द्वारा जू० हाई स्कूलों में नियुक्त उर्दू अध्यापकों को जौनपुर में जू० हा० स्कूल का ग्रेड दिया जा रहा है और बहुतों को प्राइमरी ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अशोक कुमार अग्रवाल की बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर के पद पर नियुक्ति न करने का कारण

66—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या बे० शि० परिषद् 10972/11266/12-80-81 दिनांक 26-6-80 तथा शासनादेश संख्या 6-12-1973 नियुक्ति-4, लखनऊ दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 के आदेश के बाद भी श्री अशोक कुमार अग्रवाल की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर के पद पर न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजा शारदा महेश इण्टर कालेज, राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में हाईस्कूल संस्थागत परीक्षा के परीक्षार्थी श्री अजय कुमार सिंह का अघोषित परीक्षाफल तथा उनके पिता श्री राम मूर्ति सिंह द्वारा दिये गये कतिपय प्रार्थना पत्र

67—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा शारदा महेश इण्टर कालेज,

राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में परीक्षा केन्द्र सन् 81-82 में रखा गया था ? यदि हां, तो अजय कुमार सिंह अनुक्रमांक 669987 ने विज्ञान वर्ग से परीक्षा दिया था उसका परीक्षाफल घोषित न करने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हाँ।

हाईस्कूल संस्थागत परीक्षा 1982 के परीक्षार्थी अजय कुमार सिंह अनुक्रमांक 669987 का परीक्षाफल, दो छात्रों द्वारा गणित प्रथम की उत्तर पुस्तिकाओं पर एक ही अनुक्रमांक 669987 अंकित होने के कारण घोषित नहीं किया जा सका था।

68- श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में राम मूर्ति सिंह, छात्र के पिता आवास संख्या के-309 स्टाफ कालोनी, सीमेंट फैक्ट्री चुर्क, मिर्जापुर ने सचिव एवं अवर सचिव, इलाहाबाद व वाराणसी मा० शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितम्बर, 1982 में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक निस्तारण न करने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हाँ, श्री राम मूर्ति सिंह के कतिपय पत्र प्राप्त हुये थे।

आवश्यक छानबीन कराने के उपरान्त अब परीक्षार्थी का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद् के वाराणसी कार्यालय के पत्र दिनांक 4-3-83 द्वारा परीक्षार्थी को दी जा चुकी है।

## जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत नरायनपुर विकास क्षेत्र में सभौली से भुड़कुड़ा मार्ग का निर्माण

69--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के अन्तर्गत नरायनपुर विकास क्षेत्र में सभौली से भुड़कुड़ा मार्ग खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है? क्या उक्त मार्ग पर कुछ मिट्टी का कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त मार्ग कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## जनपद जालौन के कदौरा कस्बे में राजकीय मुमताज इण्टर कालेज का प्रान्तीयकरण, कक्षों का निर्माण

70--श्री शंकर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कदौरा कस्बे में राजकीय

मुमताज इण्टर कालेज का कब प्रान्तीयकरण हुआ ? प्रान्तीयकरण के बाद कभी विद्यालय भवन में किसी कक्ष का निर्माण कराया गया ? छात्रों के अनुपात में विद्यालय में कितने कक्षों की कमी है और उनका निर्माण कब तक कराया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला जालौन के मुसमरिया राजकीय हाई स्कूल में भवन निर्माण की कथित योजना

71—श्री शंकर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला जालौन के मुसमरिया राजकीय हाई स्कूल के भवन निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो भवन कब तक बन जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जालौन जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी को जीप न देने का कारण

72—श्री शंकर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा जालौन जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी को जीप न देने का क्या कारण है ? जबकि जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जीपें दे रखी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय विकास खण्डों में आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत भैंसे, गायें, बकरियों, ऊंट, रिक्शे आदि का वितरण

73—श्री यदुनाथ सिंह —

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद के नरायनपुर, जमालपुर, सीखड़ एवं पड्डो विकास क्षेत्र में आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में कितनी भैंसें, गायें, बकरियां, ऊंट, रिक्शे आदि वितरित किए गये ? क्या इन विकास क्षेत्रों में बांटने का लक्ष्य पूरा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1981-82 में आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत विकास खण्ड नरायनपुर, जमालपुर, सीखड़ तथा पड्डी (पहाड़ी) में वितरित की गई भैंसे, गायें, बकरियों, ऊंट, रिक्शे आदि का विवरण निम्नलिखित प्रकार है—

| मद | वि० ख० नरायनपुर | वि० ख० जमालपुर | वि० ख० सीखड़ | वि० ख० पड्डी (पहाड़ी) |
|---|---|---|---|---|
| भैंस | 36 | 35 | 2 | 1 |
| गाय | 2 | – | – | – |
| बकरी | – | – | – | – |
| ऊंट | 1 | – | – | – |
| रिक्शा | 4 | 3 | – | 3 |
| अन्य | 64 | 12 | 21 | 133 |
| योग | 107 | 50 | 23 | 127 |

वर्ष 1981-82 में बैंकों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण, उक्त विकास क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ऋण का वितरण नहीं किया जा सका।

## श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व० सन्त राम वर्मा, पंचायत सेवक, ब्लाक टांडा को अवशेष देयों के भुगतान

74--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व० सन्त राम वर्मा, पंचायत सेवक ब्लाक टांडा, निवासी ग्राम फतेहपुर, परगना व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद द्वारा स्वर्गीय श्री सन्तराम वर्मा के पेंशन तथा अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 18-10-82 को लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र मन्त्री को दिनांक 25 नवम्बर, 1982 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या पेंशन तथा अवशेष देयों के भुगतान हेतु आदेश दिया गया ? क्या भुगतान कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ।

इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु वह दिनांक 18-10-82 का है। बहरहाल, अवशेष देयों के भुगतान हेतु आदेश दिये गये। प्रार्थिनी को पारिवारिक पेन्शन दिनांक 27 12-78 से स्वीकृत हो चुकी है जो उन्हें मिल रही है। ग्रेच्युटी का भुगतान हो चुका है, भविष्यनिधि के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थिनी ने जिन अवधियों के वेतन के भुगतान की मांग की है उन अवधियों का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत किया गया था। अतः वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में जिला परिषद् द्वारा दुकानों का निर्माण तथा आबंटन

75--श्री राम स्वरूप निम--.

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर में 1982-83 में जिला परिषद् द्वारा कितनी दुकानों का निर्माण कराया गया तथा उनमें से कितनी दुकानें निर्बल वर्ग एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद् ने वर्ष 1982-83 में 27 दुकानों का निर्माण कराया है। जिला परिषद् द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार आय के साधन बढ़ाने के लिए दुकानों का निर्माण करती है और उनका किराया निर्धारित कर अधिशुल्क (प्रीमियम) का नीलाम पर्याप्त विज्ञापन के पश्चात् करती है। निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को दुकान का कोई आबंटन नहीं किया गया। जिला परिषद् की आर्थिक दशा खराब होने के कारण आरक्षण के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

श्री श्रीनारायण शर्मा, जिला विकास अधिकारी, मथुरा का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

76--श्री सरदार सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी, मथुरा (श्री श्रीनारायण शर्मा) को मथुरा में 4 साल से अधिक हो गये हैं ? यदि हां, तो उनके अब तक के कार्यकाल में कितने बार स्थानान्तरण हुए हैं ? स्थानान्तरण निरस्त होने के क्या कारण रहे हैं ? उनका सरकार कब स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

स्थानान्तरण आदेश तीन बार जारी हुए किन्तु प्रशासनिक आधार तथा उनके व्यक्तिगत समस्याओं के कारण स्थानान्तरण आदेश स्थगित किये गये। अब उनके स्थानान्तरण आदेश माह अप्रैल/ मई में कार्यान्वित किये जाने के आदेश जारी हो चुके हैं।

जनपद मिर्जापुर में आई० आर० डी० एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में बैंकों द्वारा दी गई धनराशि

77—श्री रामचरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में 31-12-82 तक आई० आर० डी० एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में किन-किन बैंकों ने कितनी-

कितनी धनराशि दी ? क्या यह भी बतायेंगे कि जिन बैंकों ने बहुत कम धनराशि दी या जिन्होंने बिल्कुल नहीं दी, उन बैंकों के खिलाफ शिकायत रिजर्व बैंक को लिखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में 31-12-82 तक बैंकों द्वारा निम्नांकित धनराशि दी गई :—

| बैंक | धनराशि (लाख रुपये में) |
|---|---|
| आई० आर० डी० योजना | |
| 1. इलाहाबाद बैंक | 18. 42 |
| 2. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक | 0. 62 |
| 3. पंजाब नेशनल बैंक | 0. 55 |
| 4. यूनियन बैंक | 0. 69 |
| 5. बैंक आफ इण्डिया | 1. 79 |
| 6. यूनाइटेड काम० बैंक | 1. 22 |
| 7. स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 4. 00 |
| 8. बनारस स्टेट बैंक | 0. 03 |
| 9. जिला सहकारी बैंक | 4. 82 |
| 10. भूमि विकास बैंक | 3. 29 |
| | 35. 43 |
| स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान | |
| 1. इलाहाबाद बैंक | 3. 74 |
| 2. यूनाइटेड का० बैंक | 1. 872 |
| 3. भारतीय स्टेट बैंक | 1. 538 |
| 4. जिला सहकारी बैंक | 0. 856 |
| 5. पंजाब एन्ड सिंध बैंक | 0. 450 |
| 6. यूनियन बैंक आफ इण्डिया | 0. 20 |
| 7. बैंक आफ इण्डिया | 0. 134 |
| 8. केनारा बैंक | 0. 045 |
| 9. न्यू बैंक आफ इण्डिया | 0. 024 |
| | 8. 859 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिन बैंकों ने लक्ष्य के अनुरूप धनराशि नहीं दी अथवा जिन्होंने बिल्कुल धनराशि नहीं दी, उनके सम्बन्ध में जनपद स्तर से बैंक के उच्चाधिकारियों, संस्थागत वित्त तथा मंडलायुक्त को लिखा गया है। रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंक भारत सरकार के नियन्त्रण में आते हैं। अतः इस सम्बन्ध में प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार को लिखा जाता है।

## जनपद जालौन के ग्राम मुसमरिया राजकीय हाई स्कूल में अंग्रेजी अध्यापक का रिक्त पद

78—श्री शंकर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के ग्राम मुसमरिया राजकीय हाई स्कूल में अंग्रेजी के अध्यापक का स्थान कब से रिक्त पड़ा है और उक्त स्थान की पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## विकास खंड फतेहपुर, जिला बाराबंकी में भूमि सुधार हेतु हरिजनों को आबंटित धनराशि

79—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खंड फतेहपुर, जिला बाराबंकी में भूमि सुधार हेतु हरिजनों को जो धन शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था वह उन व्यक्तियों को न देकर विकास खंड के ही किसी कर्मचारी ने वेयरर चेक द्वारा बैंक से उसका भुगतान प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। बाराबंकी जनपद के ब्लाक फतेहपुर में कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है, जिसमें ब्लाक के किसी कर्मचारी ने सीलिंग भूमि के सुधार के लिए आबंटित धनराशि का भुगतान वेयरर चेक द्वारा स्वयं बैंक से प्राप्त कर लिया हो।

फतेहपुर ब्लाक में सीलिंग भूमि को सुधार के मद में सेंट्रल सेक्टर योजना में 32 अनुदान ग्रहीताओं को 5,824/=रु० का भुगतान वेयरर चेकों द्वारा किया गया है।

## प्रधानाध्यापक श्री त्रिभुवन सिंह प्राइमरी पाठशाला, गौरा, जिला सुल्तानपुर का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

80—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानाध्यापक श्री त्रिभुवन सिंह, प्राइमरी पाठशाला,

गौरा, जिला सुल्तानपुर विगत बीस वर्षों से उसी विद्यालय में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो अब तक उनका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त प्रधानाध्यापक का तुरन्त स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवनहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों का भवन निर्माण एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की मांग

81—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31-12-82 को जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित ऐसे प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या क्या है, जो भवन रहित हैं और कितने ऐसे प्राइमरी पाठशालाएं हैं जिनमें प्रधानाध्यापक नहीं हैं ? क्या सरकार अतिशीघ्र भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करायेगी ? और प्रधानाध्यापक रहित विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कराएगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## श्रीमती कमला चौहान, सहायक अध्यापिका जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, गुरम्बा, जिला लखनऊ को प्रशिक्षण से मुक्ति देने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

82—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला चौहान, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, गुरम्बा, जिला लखनऊ को प्रशिक्षण से मुक्ति देने के सम्बन्ध में उप सचिव, शिक्षा अनुभाग-5 के पत्र संख्या 6468/15-65-1980 दिनांक 22/23 सितम्बर, 1980 तथा अनुस्मारक संख्या 7758/15 (5)-80-400 (347)/80 दिनांक 24-11-80 एवं 6961/15-5-82-400 (241) 82, दिनांक 7-9-1982 के सन्दर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध शासनादेशों का पालन न करने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

## राजकीय जूनियर हाई स्कूल गहवरा, विकास खंड मीरगंज, जिला बरेली में विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति की माँग

83—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 3-9-82 को एक पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली को लिखकर उन्हें सूचित किया था कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल गहवरा, विकास खंड मीरगंज, जिला बरेली में पिछले 6 वर्ष से विज्ञान का अध्यापक नहीं है और यह भी अनुरोध किया था कि वहाँ पर विज्ञान के अध्यापक की तुरन्त नियुक्ति की जाय ? यदि हां, तो क्या वहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति करके प्रश्नकर्त्ता को सूचित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## आदर्श जूनियर हाई स्कूल धोरा, राजकीय जू० हाई स्कूल, सुल्तानपुर, बहेड़ी, जनपद बरेली एवं राजकीय जू० हाई स्कूल, शेरगढ़, जनपद बरेली में अध्यापकों में असमानता का कारण

84—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श जूनियर हाई स्कूल धोरा, राजकीय जू० हाई स्कूल, सुल्तानपुर बहेड़ी, जनपद बरेली एवं राजकीय जू० हाई स्कूल बल्लीड् (शेरगढ़), जनपद बरेली में इस समय क्रमशः जितने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और इन में क्रमशः जितने अध्यापक कार्यरत हैं उसमें बहुत असमानता है ? इस असमानता का क्या कारण है और क्या शासन इसे ठीक करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाएगा ? यदि हां; तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## जनपद गोन्डा स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में बी० टी० सी० शिक्षकों द्वारा भूख हड़ताल एवं माँगें

85—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1983 में जनपद गोण्डा स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रशिक्षित बी० टी० सी० शिक्षकों द्वारा अपनी माँगों को पूरा कराने के लिये भूख हड़ताल की गयी ? यदि हां, तो इन शिक्षकों की क्या मांगें हैं और इन मांगों को पूरा करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री त्रिभुवन सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, गौरा, जिला सुल्तानपुर द्वारा उसी स्कूल के सहायक अध्यापक श्री गौरी शंकर, हरिजन का आहरित किया गया वेतन

86--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री त्रिभुवन सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला गौरा, जिला सुल्तानपुर ने उक्त पाठशाला में ही कार्यरत सहायक अध्यापक श्री गौरी शंकर, हरिजन का माह अक्टूबर, 1981 का वेतन आहरित करके निजी कार्यों में प्रयोग कर लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त अध्यापक का कोई प्रार्थना-पत्र माह नवम्बर, 1981 में ही जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त अध्यापक का वेतन उसे दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जन सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान

87--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में 1981 से 1982 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितना लम्बा जन-सम्पर्क मार्ग निर्माण कराए जाने की योजना थी तथा कुल कितना धन दिया गया ? उसमें कितने लम्बे जन-सम्पर्क मार्ग निर्माण किए जा चुके हैं ? प्रत्येक विकास खण्डों का पूर्ण विवरण क्या है ? निर्माणाधीन शेष मार्ग की स्थिति क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1981 से 1982 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 84 कि० मी० जन-सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने की योजना थी तथा कुल 58.58 लाख रुपया दिया गया। इसमें से कुल 71 कि० मी० जनसम्पर्क मार्ग का निर्माण हो चुका है। विकास खन्डवार संलग्न है। निर्माणाधीन 13 कि० मी० मार्ग धनाभाव के कारण अवशेष है ।

1073

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ.....पर ।)

88--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत निर्माणाधीन मार्गों पर कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी करीब 4 लाख रुपए भुगतान हेतु शेष है ? यदि हां, तो श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान कब करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी फैजाबाद से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

89-90--श्री गोपीनाथ वर्मा—

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--40-41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## श्रीमती सावित्री देवी वर्मा, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, दर्शन नगर, फैजाबाद के स्थानान्तरण को निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में आदेश

91--श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सावित्री देवी वर्मा, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, दर्शन नगर, फैजाबाद के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को अपने पत्रांक बे० शि० प०/64583/82-83 दिनांक 13-3-82 पत्रांक बे० शि० प०/2774/81-82 दिनांक 12-4-82 तथा बे० शि० प० 10706/82-83 दिनांक 6-7-82 तथा पत्रांक बे० शि० प०/14789/ 82-83 दिनांक अगस्त 11, 1982 को उक्त मामले में स्थानान्तरण निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में आदेश दिया है ? यदि हां, तो सचिव के चार आदेश होने के पश्चात् अभी तक आदेश का पालन न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## विकास खंड इटिया थोक जनपद गोन्डा के अन्तर्गत रमवापुर से पूरे बसालत तक सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा लगाने तथा पुलिया निर्माण किए जाने का कथित विचार

92—श्री राम हर्ष राय,

श्री सूबेदार सिंह, तथा

श्री मोहम्मद नबी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जनपद के विकास खंड

इटिया थोक के अन्तर्गत रमवापुर से पूरे बसालत तक के सम्पर्क मार्ग पर पुलिया बनाने व खड़न्जा लगाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

संदर्भित सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा लगाने तथा पुलिया निर्माण किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों की मरम्मत हेतु दी गयी धनराशि

93—श्री कल्याण सिंह सोलंकी

श्री माधव प्रसाद तथा

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों को वर्ष 1982-83 में शासन द्वारा कुल कितनी धनराशि मरम्मत हेतु दी गयी और विभाग द्वारा किन-किन विद्यालयों में कितनी-कितनी धनराशि कब-कब मरम्मत के लिए प्रदान की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों की मरम्मत हेतु वर्ष 1982-83 में रु० 5 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है । मरम्मत हेतु विद्यालयों का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा अभी नहीं किया जा सका है । अतः किसी विद्यालय को भवन मरम्मत हेतु अब तक कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है ।

## प्रा० पा० मरूई, समोगरा, असवालपुर, जू० हाई स्कूल, किरतपुर ब्लाक पिंडरा स्कूलों के भवन हेतु धनराशि की माँग

94—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० पा० मरुई, समोगरा, असवालपुर, जू० हाई० स्कूल, किरतपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के पास बेसिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी या जिला परिषद् वाराणसी द्वारा भवन नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गाँव के नागरिकों द्वारा एकाध कमरा कच्चा या पक्का बनवाने के बाद अब उसकी इमारत के लिए सरकार धन नहीं दे रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

95—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जू० हा० स्कूल, किरतपुर तथा प्रा० पा० मरुई, समोगरा, असवालपुर, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी अरसा आठ वर्षों से चल रहे हैं ? इनकी इमारत के लिए व्यवस्था न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार उपरोक्त स्कूलों के भवन हेतु अलग से धन की स्वीकृति देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

96—98—श्री ऊदल—

[10 वें सोमवार के लिए स्थगित]

## जनपद बाराबंकी में स्टेडियम का निर्माण

99—श्री जमुना प्रसाद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में स्टेडियम बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्टेडियम का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

स्टेडियम का निर्माण वर्ष 1983-84 में प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जायेगा ।

## प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा, जौनपुर द्वारा दिया गया ज्ञापन

## अध्यापकों, अध्यापिकाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायतें

100—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा, जौनपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ तारीख 31-1-83 को माननीय शिक्षा मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

101—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ज्ञापन में फर्जी ट्रांसफर

कराकर आने वाले अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की सन् 81 व 82 में नियुक्तियों के बारे में भी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच सी० आई० डी० से कराने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## नाद नदी में स्थान सुरही, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में कथित पुल का निर्माण

102 --श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नाद नदी में स्थान सुरही, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में पिंडरा ब्लाक की ओर से एक पुल अधूरा बना कर छोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्या इसको पूरा करने हेतु धन की व्यवस्था की जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

नाद नदी में स्थान सुरही ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा किसी पुल का निर्माण नहीं कराया गया था । अतः अधूरा छोड़ देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

## देवराई सराय धरसौना बरवाँ मार्ग, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का कथित निर्माण

103 --श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवराई-सरायधरसौना-बरवां मार्ग ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग या मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी की देखरेख में बनवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस मार्ग के निर्माण में नाद नदी पर पुल बनवाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो उसके लिए धन की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

देवराई, सराय धरसौना बरवां मार्ग, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की देखरेख में नहीं कराया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी वाराणसी से भी स्थिति ज्ञात की गयी है जो रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

## ग्राम मुडाडीह, जिला बलिया के भूतपूर्व प्रधान श्री लखी नारायण सिंह के विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति के गबन की जांच

104--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुडाडीह, ब्लाक बेलहरी,

जिला बलिया के भू० पू० प्रधान श्री लखो नारायण सिंह पुत्र श्री उमा सिंह द्वारा सरकारी सम्पत्ति के गबन के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त तिवारी, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी (आई) बलिया का दिनांक 8-2-83 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो जांच कराई गयी ? यदि हां, तो उपरोक्त भू० पू० प्रधान पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ। आवश्यक जाँच की जा रही है।

## श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका का वेतन प्रधानाध्यापक द्वारा बैंक में जमा किया जाना

105—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

विधान सभा के 1982 के द्वितीय सत्र के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्नसंख्या 26 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रधानाध्यापक किसी अध्यापक का वेतन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बैंक में जमा नहीं कर सकता है तो अक्तूबर 79 का वेतन संबंधित अध्यापिका को भुगतान न कर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैंक में जमा करने की अनधिकार चेष्टा करने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने माह अक्तूबर 1979 का वेतन दिनांक 6-11-79 को वितरण हेतु प्रधान अध्यापक को इस निर्देश के साथ दिया था कि एक सप्ताह में वेतन वितरित करके वेतनावली उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा कर दें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रधान अध्यापक ने 22-11-79 को श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका का वेतन जिला बेसिक शिक्षा के पी० एल० ए० में जमा कर दिया और वेतनावली उप विद्यालय निरीक्षक को वापस कर दी।

अतः प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

## श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू० बे० विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी के वेतन का भुगतान तथा वेतन कार्यरत विद्यालय से आहरण न कर पूर्व विद्यालय से आहरित करने का औचित्य

106—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू० बे० विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी के माह अगस्त, 79 का वेतन 15 दिन के अन्दर भुगतान हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने मार्च, 80 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को अर्धशासकीय पत्र भेजा था तथा उसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी को भी दी थी ? यदि हाँ, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही हुई थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

107—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के 1982 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू० बे० विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी में नवम्बर, 78 में बरेली जाटा विद्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण कर लिया था ? यदि हाँ, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण संबंधित अध्यापिका का वेतन कार्यरत विद्यालय से न आहरण कर पूर्व विद्यालय से ही माह सितम्बर, 79 तक आहरित किया जाता रहा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में विनियमितीकरण नियमावली के तहत् सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

108—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में नियमितीकरण के कारण 1-1-1977 के पूर्व के तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक अभियन्ता वर्ष 1979 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से चयनित सहायक अभियन्ताओं से ज्येष्ठ हैं ? यदि हाँ, तो ज्येष्ठता सूची कब तक बना दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों एवं दिनांक 8-4-81 तथा दिनांक 28-4-81 के शासनादेश द्वारा विनियमितीकरण नियमावली 1979 के तहत नियमित किये गये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची बनाकर दिनांक 27-12-82 को प्रकाशित कर दी गयी है ।

## ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर आये अधिशासी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

109—श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में विभिन्न अभियंत्रण विभागों से प्रतिनियुक्ति एवं प्रोन्नति पर आये अधिशासी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची बनाई गई है ? यदि नहीं, तो ज्येष्ठता सूची कब तक बना ली जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण/अभियंत्रण सेवा विभाग से प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर आये अधिशासी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची अभी तक नहीं बनाई जा सकी है।

ज्येष्ठता सूची बनाने की कार्यवाही प्रगति में है।

## ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बरेली प्रखण्ड के अधीक्षण अभियन्ता के स्थानान्तरण की माँग

110—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में बरेली प्रखण्ड के समस्त सहायक अभियन्ताओं तथा जूनियर इन्जीनियरों ने दिनांक 28 से 30 जनवरी, 1983 तक सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न के विरोध में सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया था ? यदि हाँ, तो तीन वर्ष से अधिक की अवधि से तैनात उक्त अधीक्षण अभियन्ता को इस वृत्त से कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बरेली प्रखण्ड के किसी भी सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इन्जीनियरों ने दिनांक 28 से 30 जनवरी, 1983 तक कोई आकस्मिक अवकाश नहीं लिया।

शासन की सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

## ग्राम दोकनहा, जनपद रायबरेली के प्रा० कन्या विद्यालय के भवन पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

111—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम दो कनहा, जनपद रायबरेली के प्रा० कन्या विद्यालय के भवन पर वहाँ के ग्राम प्रधान ने अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी खोरों ने 31-1-83 तक कितने पत्र खाली करने के लिये ग्राम प्रधान को लिखे ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या विद्यालय खाली हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## बेसिक शिक्षा परिषद, रायबरेली के अध्यापकों को भविष्य निधि का लेखा-जोखा तथा ससपेन्स का बकाया का भुगतान

112—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, रायबरेली के अध्या-

पकों के भविष्य निधि का लेखा-जोखा किस सन् तक बना है और उसे कब तक ठीक करा लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

113 —श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का ससपेन्स का बकाया अब तक क्यों नहीं भुगतान किया गया ? इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## रायबरेली बेसिक शिक्षा परिषद् के जू० हा० स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी एवं नियुक्ति

114— श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि रायबरेली बेशिक शिक्षा परिषद् के जू० हा० स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी है ? यदि हाँ, तो उन स्थानों पर सहायक अध्यापक कब तक नियुक्त किये जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, बरेली मण्डल में निलम्बित लिपिकों के निस्तारण हेतु कार्यवाही

115—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, बरेली मण्डल में कितने लिपिक 6 माह से अधिक समय से निलंबित हैं ? उनके मामलों का निस्तारण किन कारणों से अब तक नहीं किया गया ?

श्री यशपाल सिंह—

केवल दो लिपिक निलंबित हैं । विभागीय कार्यवाही पूरी न होने के कारण अब तक निस्तारण नहीं किया गया ।

116--श्री हरी शंकर तिवारी –

[10वें सोमवार के लिये स्थगित]

जू० हाई स्कूल सिकन्दरपुर, शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत कथित धनराशि

117—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जू० हाई स्कूल सिकन्दरपुर, शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के भवन निर्माण हेतु सन् 1980-81 व 81-82 में कितना धन स्वीकृत किया गया तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया गया ? यदि हाँ, तो भवन निर्माण की स्थिति क्या है और कब तक निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जू० हाई स्कूल, सिकन्दरपुर, शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाँदा में स्थित जिला पंचायत अधिकारी का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण न होने का कारण

118—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा में स्थित जिला पंचायत अधिकारी विगत 5 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो क्यों और उसका कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ । इस अवधि में इनका कार्य एवं आचरण अच्छा रहा और जिलाधिकारी ने इनका स्थानान्तरण न किये जाने की संस्तुति की थी । वर्ष 1982 में सामान्य स्थानान्तरण के समय इनके स्थानान्तरण पर विचार किया गया परन्तु ग्राम पंचायतों के चुनाव आदि को देखते हुये स्थानान्तरण नही किया गया । इस बीच शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अप्रैल 1983 तक कोई भी स्थानान्तरण न किये जाँय ।

मन्डी समिति के लिये अधिग्रहीत भूमि का देय मुआवजा

119—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति के लिए अधिग्रहीत भूमि का

मुआवजा सम्बन्धित लोगों को दे दिया गया है ? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

अधिग्रहीत भूमि का 2/3 प्रतिकर सम्बन्धित कास्तकारों को वितरित किया जा चुका है तथा प्रतिकर के नक्शे बनवाकर एवं प्रस्तावित अभिनिर्णय घोषित करके प्रतिकर की धन-राशि की स्वीकृति मण्डलीय आयुक्त से माँगी गयी है ।

## प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परिनियमों तथा अध्यादेशों से नियन्त्रण

120—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों में सेवा नियमावली बनी है ? जहाँ सेवा नियम अभी नहीं बने हैं वहाँ कौन सा नियम लागू है ? कब तक सभी विश्वविद्यालयों में सेवा नियमावली बन जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विश्वविद्यालयों में सेवा नियमावली नहीं बनती है । वे परिनियमों तथा अध्यादेशों से नियंत्रित होते हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

## दलहन/तिलहन विकास हेतु दलहन/तिलहन विकास बोर्ड का गठन

121—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश दलहन एवं तिलहन विकास निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । दलहन/तिलहन विकास के लिये राज्य-स्तर पर एक तिलहन एवं दलहन विकास बोर्ड गठित किया गया है ।

122-133—श्री जयदीप सिंह बरार—

[10वें सोमवार के लिये स्थगित]

## एल० टी० ग्रेड अध्यापकों तथा प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों हेतु की गई संस्तुतियों के आधार पर समान वेतनमान किया जाना

134—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन खण्ड-2 भाग-1 के अध्याय 7-7 के क्रमांक 17 तथा 7-13 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एल० टी०

वेतनक्रम के शिक्षक तथा एस० डी० आई० के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में क्या-क्या संस्तुतियाँ की गयी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

एल० टी० ग्रेड अध्यापकों तथा प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों के लिये समान वेतनमान संस्तुत किये गये हैं ।

135—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या वे संस्तुतियाँ तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशक, उ० प्र० की लिखित संस्तुतियों पर और वेतन आयोग के समक्ष दी गयी गवाही एवं वेतन आयोग के गम्भीर चिन्तन-मनन के आधार पर शिक्षक के महत्व को स्वीकार करते हुये की गयी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

## प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ द्वारा वेतन आयोग के संस्तुत वेतनमानों के पुनरीक्षण की माँग

136—श्री रामस्वरूप वर्मा—

यदि हाँ, तो भूतपूर्व आयुक्त एवं सचिव शिक्षा विभाग, एवं शिक्षा निदेशक के अन्यत्र पद स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् एवं शासकीय संकल्प संख्या वे० आ० 1590/दस 42 (एम०) 1980 दिनांक19 सितम्बर, 1981 द्वारा उक्त संस्तुतियों को स्वीकार करने के पश्चात् वे कौन सी विशेष परिस्थितियां एकाएक उत्पन्न हो गयी हैं जिस कारण शिक्षा 2 अनुभाग द्वारा एल० टी० आई० के वेतनमान को एल० टी० वेतनमान से अधिक करने की अनावश्यक पेशकश की जा रही है तथा क्या शासन शिक्षकों के महत्व को समझते हुये अपने महत्व पर दृढ़ रहेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ ने वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों को समीचीन न मानते हुये पुनरीक्षण की माँग की है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

## ग्राम धानापुर, जनपद जौनपुर के हरिजन (मुसहर) बस्ती का निर्माण कार्य

137 —श्री प्रभूनारायण सिंह

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अंतर्गत ग्राम धानापुर की हरिजन (मुसहर) बस्ती का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ?

इतने दिनों में इसका कार्य क्यों पूरा नहीं किया जा सका ? क्या सरकार निकट भविष्य में निर्माण कार्य पूरा करा लेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव ---

मुसहर बस्ती का निर्माण कार्य 7 मार्च, 1981 से प्रारम्भ किया गया था ।

सम्बन्धित मुसहरों को जिन्हें आवास का आबंटन किया गया है, बिल्कुल असहाय होने के कारण, उनसे निर्माण कार्य में लाभार्थी से अपेक्षित वित्तीय सहयोग न मिल सकने के कारण, कार्य को पूर्ण कराने में विलम्ब हुआ है ।

खण्ड विकास अधिकारी, मुफ्तीगंज, इन सभी हरिजन आवासों को पूर्ण कराके लाभार्थियों के रहने के लिये देने हेतु प्रयत्नशील हैं और शीघ्र ही इन आवासों को पूर्ण करा देंगे ।

## पाण्डे पुरवा खसौरा सम्पर्क मार्ग, ब्लाक हरपालपुर, जिला हरदोई का निर्माण

138– श्री हरीशंकर तिवारी—

क्या सा० नि० मन्त्री को जानकारी है कि पाण्डे पुरवा खसौरा सम्पर्क मार्ग ब्लाक हरपालपुर जिला हरदोई के निर्माण हेतु वर्ष 1975–76 में 23,244.75 रुपया चालान सं० 68 दिनांक 12–2–76 द्वारा हेड 882, पी० डब्लू० आर० आई० (ई० ई० एम०आई० लखनऊ डिवीजन) में जमा किया गया ? यदि हाँ, तो इस मार्ग का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## गढ़वाल मण्डल के अंतर्गत स्नातक वेतनक्रम तथा प्रवक्ता वेतनक्रम में अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा चयन तथा स्थायीकरण

139 --श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अंतर्गत कितने अध्यापक एल० टी० और एस० एस० ई० एस० वेतनक्रम में ऐसे हैं जिनका अभी तक विभागीय चयन समिति द्वारा चयन नहीं किया गया और यह चयन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ? उन्हें उनके वर्तमान पदों पर कब तक स्थायी कर लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

स्नातक वेतनक्रम में 280 तथा प्रवक्ता वेतनक्रम में 467 तदर्थ प्रोन्नत अध्यापक हैं । इनके विभागीय चयन हेतु कोई निश्चित अवधि नहीं बतायी जा सकती । प्रश्नगत अध्यापकों का स्थायीकरण नियमित चयन में उपयुक्त पाये जाने तथा स्थायी रिक्ति उपलब्ध होने पर सम्भव होगा ।

गढ़वाल मण्डल में सी० टी० से एल० टी० वेतनक्रम में तथा एल० टी० प्रवक्ता वेतनक्रम में तदर्थ प्रोन्नत अध्यापकों का विभागीय चयन तथा स्थायीकरण

140—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में इस समय एल० टी० तथा एस० एस० ई० एस० के कितने-कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें 1971 के पश्चात् निचले संवर्ग सी० टी० या एच० टी० से विभागीय पदोन्नति देकर एल० टी० और एस० एस० ई० एस० में नियुक्त किया गया है किन्तु अभी तक उनका विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सी० टी० से एल० टी० वेतनक्रम में 239 अध्यापक तथा एल० टी० से प्रवक्ता वेतनक्रम में 467 प्रवक्ता तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। 1971 से तदर्थ प्रोन्नत कुछ अध्यापकों का विभागीय चयन हो चुका है।

141--श्री कुंवर सिंह नेगी--

उक्त श्रेणी के अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा शीघ्र अनुमोदन हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा उन्हें कब तक अनुमोदन कराकर विभागीय कोटे के अन्तर्गत वर्तमान पदों में स्थायी किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा निदेशक द्वारा नियमानुसार अधिकांश अधियाचन अनुमोदन हेतु लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं जिन पर लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित अध्यापकों को स्थायी किया जा सकेगा। शेष अधियाचनों को तत्काल लोक सेवा आयोग को भेजने हेतु शिक्षा निदेशक को आदेश दिये गये हैं।

शिक्षा उप निदेशक, पंचम मंडल, वाराणसी द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों पर की जा रही नियुक्ति की जांच

142—श्री बनवारी राम--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा उप निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय स० प्र० पदों पर की जा रही नियुक्ति निदेशालय के निर्देशों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या इस अनियमित नियुक्ति को निरस्त करना चाहेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## श्री मुरली मनोहर मिश्र, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य, सर्वोदय विद्यापीठ हायर सेकेण्डरी स्कूल, एटा को पेन्शन की स्वीकृति

143—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या एटा जनपद के सर्वोदय विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्कूल के अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री मुरली मनोहर मिश्र को रिटायर हो जाने के पश्चात् 10 दिसम्बर, 1982 तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री मुरली मनोहर मिश्र, सर्वोदय विद्यापीठ हायर सेकेण्डरी स्कूल, एटा के प्रधानाचार्य के पद से दिनांक 30-6-72 को सेवा निवृत्त हुये और उन्हें उप शिक्षा निदेशक, आगरा के पत्रांक ई-2/7744-48/बारह-(1) दिनांक 11-9-75 द्वारा पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## नगरपालिका कन्या इन्टर कालेज, नवाबगंज (गोंडा) में लिपिकों के चयन में गम्भीर अनियमितताएँ

144—श्री मसरूर जाफरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका कन्या इण्टर कालेज, नवाबगंज (गोंडा) में दिनांक 22-10-80 को हुये दो लिपिकों के चयन में गम्भीर अनियमितताएँ होने के कारण आर० आई० जी० एस०, फैजाबाद द्वारा नियुक्ति अस्वीकृत कर दी गयी है ? यदि हां, तो उनमें अनियमितताएँ क्या थीं ? क्या उसमें कोई स्थान अनुसूचित जाति के लिए भी रिक्त था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत विद्यालय में दिनांक 22-10-1980 को हुए दो लिपिकों के चयन को मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद द्वारा सर्वप्रथम स्वीकार नहीं किया गया किन्तु बाद में उन्होंने उस चयन को स्वीकार कर लिया। मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा चयन की कार्यवाही पर सर्वप्रथम इस कारण आपत्ति उठायी गयी थी कि प्रश्नगत दो लिपिकों के पदों में से एक पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित था किन्तु आरक्षित पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया था ।

## श्री कुमुद दत्त शुक्ल, प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान, राजकीय इन्टर कालेज, हरदोई का अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र

145—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुमुद दत्त शुक्ल, प्रवक्ता भौतिक

विज्ञान, राजकीय इण्टर कालेज, हरदोई का दिनांक 20-2-80 से 2 जून 1980 तक का अवकाश जब वे राजकीय इण्टर कालेज, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में नियुक्त थे, को अब तक स्वीकृत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनका अवकाश स्वीकृत करने के आदेश देगी तथा उक्त अवधि का वेतन दिलायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री शुक्ल ने प्रश्नगत अवधि (104 दिन) का अर्द्ध औसत वेतन पर व्यक्तिगत अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र दिया है, जो उन्हें नियमानुसार देय नहीं है। नियमानुसार देय अवकाश के लिये उनका आवेदन पत्र मांगा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। उनका आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही उनके अवकाश प्रकरण पर विचार सम्भव होगा।

## जनपद हरदोई में अध्यापकों की नियुक्ति विषयक विज्ञापन के विरुद्ध भर्ती, श्री नवल किशोर त्रिवेदी की अनियमित नियुक्ति के विरुद्ध उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

146—श्री रामलाल वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद हरदोई में नवम्बर, 1981 में 98 अध्यापकों की नियुक्ति विषयक विज्ञापन के विरुद्ध मार्च, 1982 से सितम्बर, 1982 तक 247 अध्यापकों की भर्ती की गयी ? यदि हाँ, तो क्या इस भर्ती में जनपद हरदोई से बी० टी० सी० प्रशिक्षित तथा उच्चतम अंक प्राप्त अध्यापकों को नजरअन्दाज कर अन्य जनपदों, शाहजहाँपुर, मैनपुरी एवं फतेहगढ़ आदि से कम अंक प्राप्त प्रशिक्षितों को भर्ती किया गया ? यदि नहीं, तो हरदोई से वर्ष 1976 की परीक्षा (बी० टी० सी०) में 293 अंक प्राप्त मो० सिद्दीक को भर्ती न करके फतेहगढ़ में वर्ष 1976 की (बी०टी०सी०) परीक्षा में 240 अंक प्राप्तकर्ता श्री नवल किशोर की भर्ती का क्या कारण है ? क्या यह भी सत्य है कि 8 नियुक्ति पत्रों में उन विद्यालयों का नाम दर्शाया गया है जो अभी तक खुले ही नहीं ? यदि हाँ, तो इन सब के लिये कौन उत्तरदायी है और शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद हरदोई में नवम्बर, 1981 में 98 अध्यापकों की नियुक्ति विषयक विज्ञापन के विरुद्ध मार्च, 1982 से सितम्बर 1982 तक प्राइमरी स्कूल के 247 नहीं वरन् 244 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गयी।

जी हाँ।

जनपद हरदोई से वर्ष 1976 में बी०टी०सी० परीक्षा में 293 अंक प्राप्त मो० सिद्दीक की नियुक्ति न करके जनपद फर्रुखाबाद से वर्ष 1976 की परीक्षा में 240 अंक प्राप्त श्री नवल किशोर त्रिवेदी की अनियमित नियुक्ति के कारणों की जाँच की जा रही है।

यह सत्य है कि 90 अध्यापकों की नियुक्ति उन विद्यालयों के प्रति की गई है जो दिनांक

12–12 82 तक नहीं खुले थे। उक्त अनियमितताओं के उत्तरदायी तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई श्री सुन्दर सिंह हैं, जिनका स्थानान्तरण किया जा चुका है और उनके विरुद्ध अन्य विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

## जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति/ स्थानान्तरणों में अनियमितताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा स्थानान्तरण

146ए--श्री राम लाल वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति स्थानान्तरणों में व्यापक रूप से अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हाँ, तो वे अनियमितताएं किस प्रकार की हैं तथा अब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा वर्ष 1982 में अध्यापकों की नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों में अनेक अनियमिततायें की गयीं जैसे सहायक अध्यापकों के 98 पदों की नियुक्ति विषयक विज्ञापन के विरुद्ध मार्च 1982 से सितम्बर 1982 तक 244 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु जो मेरिट लिस्ट तैयार की गयी वह त्रुटिपूर्ण थी, 10 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति उन विद्यालयों के प्रति की गयी, जो उस समय खुले ही नहीं थे। बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर भी सी० टी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गयी है। प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के 317 प्रधान एवं सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण में नियमों का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई (श्री सुन्दर सिंह) को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

## जिला चमोली में हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण

147—श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में 1977 के बाद कितने हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण कब-कब किया गया ? क्या उनमें सेवारत एल० टी० तथा एस० एस० ई० एस० वेतनक्रम में सेवारत शिक्षकों का लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक उक्त अनुमोदन कराया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में असमानता

148--श्री विमला प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास-खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में फरवरी, 1982 में कितने सहायक अध्यापक ऐसे थे जिन्हें वरिष्ठ होते हुये भी अपने से कनिष्ठ अध्यापकों से मूल वेतन क्रम प्राप्त हो रहा है ? इसका क्या कारण है तथा यह विसंगति अब तक क्यों दूर नहीं की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 8 सहायक अध्यापकों को कनिष्ठ होते हुये भी अपने से कनिष्ठ अध्यापकों से फरवरी 82 में कम मूल वेतन प्राप्त हो रहा था। ऐसा उ० प्र० प्रथम वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों की राजाज्ञा निर्गत करने के फलस्वरूप तथा प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक के पद पर की गई सेवा को न जोड़ कर वेतन निर्धारित करने से हुआ है।

परन्तु अब द्वितीय उ० प्र० वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत राजाज्ञा के अनुसार वेतन निर्धारित किये जाने से यह विसंगति स्वतः दूर हो गयी है।

## जनपद शाहजहाँपुर में 'हाफ ए मिलियन जाब्स' कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त उर्दू अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरित करने के आदेश

149--श्री उदयवीर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के परिषदीय विद्यालयों के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत हाफ-ए-मिलियन जाब्स योजना में कितने अध्यापक ऐसे विद्यालयों में कार्यरत हैं जहाँ उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या नगण्य है ? यदि ऐसा है, तो क्यों तथा कब तक यह व्यवस्था ठीक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद शाहजहाँपुर के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में 'हाफ-ए मिलियन-जाब्स' कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त 9 उर्दू अध्यापक ऐसे स्कूलों में कार्यरत हैं, जहाँ उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या नगण्य है। उपरोक्त 9 उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापकों को आवश्यकतानुसार उन विद्यालयों में स्थानान्तरित करने के आदेश सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर को निर्गत कर दिये हैं, जहाँ उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त हो।

श्रीमती लल्ली देवी मिश्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इन्टर कालेज, फतेहगढ़ की सेवा पंजिका गायब होने से प्रधानाचार्या के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

150--श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती लल्ली देवी मिश्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इन्टर कालेज, फतेहगढ़ की सेवा पंजिका गायब हो गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं कार्यवाही की गयी है, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। इसके लिये तत्कालीन प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, खजुहा, (फतेहपुर) दोषी पायी गयी हैं। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के इन्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता

151--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के ऐसे कितने अध्यापक हैं जो प्रवक्ता वेतनक्रम पा रहे हैं तथा वह केवल बी० ए० अथवा बी० एस-सी० सैन्य विज्ञान सहित तथा एन० सी० सी० कमीशण्ड अधिकारी हैं तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नहीं रखते हैं ? क्या अध्यापक राजाज्ञा सं० 8239/पन्द्रह-7-76-2 (18)-1975 दिनांक 9-12-76 द्वारा सैन्य विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं में किए गये संशोधनों के आधार पर सैन्य विज्ञान प्रवक्ता वेतनमान (रु० 400-750) पाने के अधिकारी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

बी० एन० बी० इन्टर कालेज एवं मड़ियाहूँ डिग्री कालेज, जौनपुर में अनुसूचित जाति/जन जति के कर्मचारी

152—श्री दीपू

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० एन० बी० इन्टर कालेज एवं मड़ियाहूँ डिग्री कालेज, जौनपुर में कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का कर्मचारी है ? यदि हाँ, तो किस पद पर ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

बी० एन० बी० इन्टर कालेज मड़ियाहूँ में परिचारक पद एवं मड़ियाहूँ डिग्री कालेज में चतुर्थ श्रेणी पद पर।

प्रश्न नहीं उठता।

बी० एन० बी० इन्टर कालेज मड़ियाहूँ में स्थान रिक्त होने पर आरक्षण कोटे की पूर्ति करते हुए यथासमय नियुक्तियां करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

अशासकीय महाविद्यालय में नियुक्तियां परिनियमों के अनुसार प्रबंधतंत्र द्वारा की जाती हैं।

## जनपद जौनपुर में माध्यमिक शिक्षकों को विज्ञान विषयों में कराया गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

153—श्री प्रभूनारायण सिंह

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने माध्यमिक शिक्षकों को विज्ञान विषयों में सरकार ने पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा कराया था और उनमें से कितने शिक्षकों को अब तक प्रवक्ता वेतनक्रम में दिया गया ? क्या पी०जी० डी० योग्यताधारी शेष अध्यापकों को भी निकट भविष्य में प्रवक्ता वेतनक्रम दे दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

## बालिका इन्टर कालेज, हरदुआगंज, थर्मलपावर हाउस, कासिमपुर में अध्यापिकाओं की स्थायी नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में कथित विज्ञापन

154—डा० धर्मपाल सिंह

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सत्र 1980-81 हेतु बालिका इन्टर कालेज, हरदुआगंज, थर्मलपावर हाउस, कासिमपुर, में कुछ सी० टी० व एल० टी० वेतनक्रम में अध्यापिकाओं की स्थायी नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित हुए थे ? यदि हां, तो आर० आई० जी० एस० द्वारा बगैर समिति गठित किए व बिना साक्षात्कार के अध्यापिकाओं की नियुक्ति को स्वीकृति किस आधार पर दी गयी ? क्या यह सच है कि बालिका इन्टर कालेज, कासिमपुर में सी० टी० व एल० टी० वेतनक्रम में 1982--83 में कुछ अध्यापिकायें बिना नियुक्ति के कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन नहीं हुआ था। आर० आई० जी० एस० द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मड़िया, गाँव ब्लाक बबीना जनपद झांसी में तालाब में बन्धी न होने से किसान को फसल को कथित क्षति

155—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम मड़िया, गाँव ब्लाक बबीना, जनपद झाँसी के तालाब में बंधी न होने से गाँव के किसानों की 300 एकड़ खेती सूख गयी ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त गाँव के तालाब में शीघ्र बंधी बनवा कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी देगी ? यदि हां, तो उक्त बंधी के निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ होगा और इस बीच किसानों को खेती में जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के रूप में शासन किसानों को धन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह कथन सही नहीं है कि ग्राम मड़िया गांव ब्लाक बबीना, जनपद झाँसी में तालाब में बंधी न होने से गाँव के किसानों की 300 एकड़ खेती सूख गई। अतः किसानों की खेती में कथित नुकसान के मुआवजे के रूप में शासन द्वारा किसानों को धन देने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता।

उदित नारायण इन्टरमीडिएट कालेज, पडरौना, देवरिया के शिक्षकों को वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

156—श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा

श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उदित नारायण इन्टरमीडिएट कालेज, पडरौना, देवरिया के 13 शिक्षकों को गत कई साल में वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में श्री राजमंगल पाण्डे, विधायक का पत्र माह सितम्बर, 1982 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

## तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम कहरा सलेमपुर में सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण तथा स्वीकृत धनराशि

157—श्री प्रियदर्शी जेतली

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड अकबरपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम कहरा सलेमपुर में वर्ष 1964 में कोई सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो कुल कितना धन शासन द्वारा कब-कब स्वीकृत हुआ था और क्या यह सही है कि वह मिलन केन्द्र निर्मित नहीं हुआ था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ।

क्षेत्र निधि से दि० 20-11-63 को 1000/-एक हजार रुपये मात्र तथा दिनांक 29-3-64 को 1000/ एक हजार रुपये मात्र क्षेत्र समिति की स्वीकृति के अनुसार दिया गया था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

## श्री दीनानाथ सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला हरिपुर ब्लाक दूबहड़, जिला बलिया के विरुद्ध कथित आरोप

158—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री दीनानाथ सिंह, पुत्र स्व० राम एकबाल सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला हरिपुर, ब्लाक दूबहड़ परगना व जिला बलिया के विरुद्ध अनेक गम्भीर आरोपों की जाँच वर्तमान में की जा रही है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद देवरिया में बी० टी० सी० बेरोजगार अध्यापकों की नियुक्ति, प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूलों की संख्या, कार्यरत अध्यापक

159—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दिनांक 15-12-82 को कितने बी० टी० सी० बेरोजगार अध्यापक थे ? इनकी नियुक्ति कब-कब कर दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद देवरिया में दिनांक 15-12-82 तक कुल 501 बी० टी० सी० बेरोजगार अभ्यर्थी थे। इनकी नियुक्ति अध्यापकों के पदों पर रिक्ति उपलब्ध होने पर शनैः शनैः की जायेगी किन्तु कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

160—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में कितने प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल दिनांक 15-12-82 को थे तथा इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या प्रत्येक कक्षा को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक है ? यदि नहीं, तो क्या उनकी नियुक्ति कर दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद देवरिया में दिनांक 15-12-82 को 1907 प्राइमरी पाठशाला तथा 216 जूनियर हाई स्कूल बे० शि० प० द्वारा संचालित थे तथा इन विद्यालयों में क्रमशः 6089 तथा 885 अध्यापक कार्यरत थे। प्राइमरी स्कूलों में कक्षानुसार अध्यापक रखने का कोई प्राविधान नहीं है, बल्कि 40:1 के छात्र/अध्यापक अनुपात के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। जूनियर हाई स्कूलों में एक कक्षा पर डेढ़ अध्यापक नियुक्त किये जाने का मानक है। अतः प्रत्येक कक्षा के लिये एक अध्यापक की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

## श्रीमती उर्मिला एवं निर्मला नाम की अध्यापिकाओं की सेवा मुक्ति तथा पुनः बहाल किये जाने का आधार

161—श्री मित्रसेन —

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती उर्मिला एवं निर्मला नाम की दो अध्यापिकाओं को पूर्व शिक्षाधिकारी, फैजाबाद ने गम्भीर आरोपों के कारण सेवा मुक्त कर दिया था जिन्हें वर्तमान शिक्षा अधिकारी श्री राम इकबाल राम ने मई, 1982 में उक्त दोषी अध्यापिकाओं को पुनः सेवारत कर लिया है ? यदि हां, तो उन्हें पुनः सेवा में लिए जाने का आधार क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

## श्री बजरंग बली संस्कृत विद्यालय ग्राम सोनवरसा, देवरिया को कथित मान्यता एवं अनुदान

162—श्रीमती कमला साहनी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बजरंगबली संस्कृत विद्यालय, ग्राम

सोनबरसा, पो० पनिका बाजार, जनपद देवरिया के नाम से फर्जी विद्यालय चलाने एवं अनुदान की धनराशि प्रबन्धक द्वारा हड़पे जाने विषयक स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर उक्त फर्जी विद्यालय को अनुदान देना बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त फर्जी विद्यालय को पुन: अनुदान स्वीकृत करने का क्या औचित्य रहा है ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच करवा कर दोषी कर्मचारी, अधिकारी एवं प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री बजरंगबली संस्कृत विद्यालय, सोनबरसा, जनपद-देवरिया पोस्ट-पनिका बाजार नाम की कोई मान्यता प्राप्त पाठशाला नहीं है ।

इस नाम की किसी पाठशाला को कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

## श्री रमाशंकर मिश्र, सहायक अध्यापक, दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थौर, जौनपुर की अस्वीकृत पेंशन

163--श्री प्रभूनारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6ठे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर मिश्र के उक्त सन्दर्भित प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त अवकाश प्राप्त शिक्षक को शीघ्र ही पेंशन का भुगतान करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा इनके प्रकरण पर विचार किया गया किन्तु नियमान्तर्गत पेंशन स्वीकृत किया जाना संभव नहीं पाया गया ।

## भोजपुरी भाषा के विकास हेतु भोजपुरी अकादमी की स्थापना

164--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि भोजपुरी भाषा के विकास के लिए भोजपुरी अकदामी की स्थापना की जायगी ? यदि नहीं, तो भोजपुरी भाषा के विकास के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भोजपुरी के विकास के लिये भोजपुरी अकादमी की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन

के विचाराधीन नहीं है। किन्तु भोजपुरी बोली के साहित्य के विकास के लिये भी उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ अपनी योजनाओं के अन्तर्गत प्रयत्नशील है।

## जनपद मैनपुरी में ग्राम पंचायत अधिकारियों को सहायक विकास अधिकरी (पंचायत) के पद पर प्रोन्नति

165--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में कितने पंचायत सेवक (ग्राम पंचायत अधिकारी) ए० डी० ओ० पंचायत के पद पर प्रोन्नत होकर कार्य कर रहे हैं? क्या इन्हें प्रतिवर्ष कुछ समय के लिए पदावनत करके पुनः प्रोन्नत करने की परम्परा चलाई जाती है? यदि हां, तो क्यों? सरकार इस परम्परा को बदलने पर विचार करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव--

चार ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर प्रोन्नत होकर कार्यरत हैं। इन्हें कुछ दिन के लिये पदावनत करके पुनः प्रोन्नत दी जाती रही है क्योंकि शासन का विचार रहा है कि बिना नियमित चयन किए हुए या बिना लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त किए हुए तदर्थ नियुक्तियों को अनिश्चित काल के लिये चलाते रहना घोर अनियमितता है। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एक वर्ष से अधिक समय से चलती आ रही इस प्रकार का तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल समाप्त कर दिया जाय और यदि जनहित में ऐसी नियुक्तियाँ चलाना आवश्यक ही हो तो पहले उन पदधारियों को पदावनत कर दिया जाय और तत्पश्चात् कुछ दिनों बाद उन्हें पुनः पदोन्नत कर दिया जाय। बहरहाल अब इस परम्परा को समाप्त कर दिया गया है।

## लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पारिश्रमिक सम्बन्धी कार्य की धनराशि का वितरण

166--श्री मोहन सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में 77-78, 78-79, 79-80, 80-81 एवं 81-82 में लखनऊ में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पारिश्रमिक (मूल्यांकन को छोड़कर) सम्बन्धी कुल कितना कार्य किन-किन लोगों को (मय नाम) कितनी-कितनी धनराशि को वितरित किया गया? क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इनमें कितना काम स्नातक स्तर की परीक्षा एवं कितना परास्नातक स्तर की परीक्षा से सम्बद्ध है? और महाविद्यालय शिक्षकों को कितना कार्य दिया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा-पारिश्रमिक शिक्षण कल्याण कोष की स्थापना

167--श्री मोहन सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा पारिश्रमिक से किसी शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना हुई है ? यदि हां, तो इसका वितरण वि० वि० एवं कालेज शिक्षकों के मध्य किस सिद्धान्त पर होता है और क्या दोनों के अलग-अलग खाते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस कोष की स्थापना परीक्षा पारिश्रमिक से की गयी कटौतियों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा सदस्यता शुल्क के रूप में तीन दिन के वेतन की राशि से की गयी है ।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार महाविद्यालय के शिक्षक इस योजना के सदस्य नहीं हैं । अतः अलग खाते का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड महुआ स्थित जूनियर हाईस्कूल के अर्ध निर्मित भवन को पूर्ण कराने का प्रस्ताव

168--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड महुआ स्थित जूनियर हाई स्कूल के अर्ध निर्मित भवन को पूर्ण कराने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा द्वारा प्रश्नगत स्कूल भवन के निर्माण का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा समिति में प्रस्तुत किया जा रहा है । जिला बेसिक शिक्षा समिति के चयनोपरान्त ही विद्यालय भवन का निर्माण हो सकेगा ।

बांदा नगर में जूनियर हाईस्कूल के भवन निर्माण की कथित योजना तथा उपलब्ध भूमि

169—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर में कितने जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण कराने की योजना है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता ने ही हरिजन बस्ती कैलाशपुरी में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी है ? यदि हां, तो अब तक भवन-निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी-

वर्ष 1982-83 में बांदा नगर क्षेत्र में कोई जूनियर हाई स्कूल भवन निर्माण के लिये प्रस्तावित नहीं है ।

जी हाँ। मा० विधायक द्वारा स्व० श्रीमती गिरिवाला देवी मिश्रित प्राइमरी पाठशाला, कैलाशपुरी (बाँदा) के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी गई है।

भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि एवं भू-स्थल भवन निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## बाँदा विधान सभा क्षेत्र में खोले गये प्राइमरी जूनियर स्कूल, भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

170—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र में जून, 1980 से अब तक कितने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल खोले गये ? कितने स्कूलों के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया ? कितने स्कूलों के भवन निर्माण कार्य आरम्भ हो गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

3 प्राइमरी और 1 जूनियर हाई स्कूल खोला गया।

10 प्राइमरी और 2 जूनियर हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया है।

3 प्राइमरी और 1 जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये हैं।

## लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सेवा निवृत्त अध्यापकों द्वारा भवनों को खाली कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही

171—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसे प्राचार्यों की कितनी संख्या है जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अवकाश लेने या सेवा समाप्ति होने या अपने निजी भवनों को बनाने के बाद भी विश्वविद्यालय में आबंटित भवन खाली नहीं किये हैं ? इन भवनों में उपरोक्त स्थिति में वे कब से कब तथा किस आधार पर रहते आ रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में सात अध्यापक सेवा निवृत्त होने के बाद विश्वविद्यालय के भवनों में रह रहे हैं। चार भवनों में अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, एक में रीडर तथा एक में लेक्चरर हैं तथा एक भवन में एक दिवंगत अध्यापक का परिवार रह रहा है। इन भवनों को खाली कराने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विश्वविद्यालय के पास ऐसे अध्यापकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है जो अपने निजी भवनों के निर्माण कराने के बाद भी विश्वविद्यालय भवनों में रह रहे हैं।

उक्त अध्यापक कब से और किस आधार पर सम्बन्धित भवनों में रह रहे हैं। इसकी सूचना विश्वविद्यालय से माँगी गयी है।

श्री हरि नारायण तिवारी, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला बलसिंह खेड़ा, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

172—श्री मलिक मो० कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिनारायण तिवारी, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला बलसिंह खेड़ा, पो० करोरा (नगराम) तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ उक्त विद्यालय में लगभग 10 वर्षों से तैनात हैं ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ? क्या सरकार उक्त अध्यापक का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

कार्य तथा व्यवहार अच्छा होने के कारण।

जी नहीं।

परिषदीय अध्यापकों का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण अध्यापक की प्रार्थना पर ही किया जाता है।

श्री राम शृंगार सिंह द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

173—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वांछित आख्या शासन से प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्राप्त आख्या के अनुसार श्री राम शृंगार सिंह की शिकायत में कोई बल नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी के अध्यापकों की रोकी गयी वेतन वृद्धियां, दक्षता रोक पार न कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

174—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी में 1972 से

अब तक किन-किन अध्यापिकाओं को वेतन वृद्धियां नहीं लगाई गई हैं ? किन-किन अध्यापिकाओं की वेतन की दक्षतारीक पार नहीं कराया गया तथा किन-किन अध्यापिकाओं को वेतन वृद्धियां नहीं लगाई गई ? प्रबन्धाधिकरण के विभागीय नियमों के विरुद्ध कार्यकलाप के औचित्य की जांच क्या शासन ने की है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा शासन अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

175--श्री राम आसरे वर्मा--

(दिनांक 7-2-93 को अतारांकित प्रश्न संख्या-44 द्वारा उत्तरित)

## अध्यापकों के छात्र की शिक्षण शुल्क से मुक्ति तथा शासन द्वारा क्षति पूर्ति के रूप में कथित भुगतान

176--श्री माताप्रसाद पाण्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों के वार्ड (छात्र) की शिक्षण शुल्क मुक्त करने के साथ सरकार द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी है कि शिक्षण शुल्क के मुक्ति से जो क्षति होगी उसे शासन क्षति पूर्ति के रूप में भुगतान करेगी ? यदि हां, तो बस्ती के कितने विद्यालय के अध्यापक के पाल्यों और किन-किन विद्यालयों को उक्त भुगतान अभी तक नहीं किया गया क्या सरकार भुगतान करने के लिए सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों !

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा शुल्क का बकाया का भुगतान

177--श्री माताप्रसाद पाण्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उन विद्यालयों में से कक्षा 6 का शिक्षा शुल्क गत कितने वर्षों से किन-किन विद्यालय को नहीं भुगतान हुआ ? किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन बकाया है ? इसे भुगतान करने के लिए सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के रिक्त पद

178— श्री फखरे आलम--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के कितने स्थान थे और उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्ति हुई तथा कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि स्थान रिक्त हैं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जगदीश सिंह प्रवक्ता, इण्टर कालेज, दुबारी, आजमगढ़ को अधिकार नियंत्रक द्वारा अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

179--श्री मोहन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगदीश सिंह, प्रवक्ता, इण्टर कालेज, दुबारी, आजमगढ़ के लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहने के बाद भी साधिकार नियंत्रक द्वारा अनियमित वेतन के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र दिनांक 10-12-82 अथवा उसके आस-पास शासन को मिला है ? यदि हां, तो अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, सर्वश्री राजकुमार राय एवं चन्द्रबली ब्रह्मचारी विधायकों के पत्र क्रमशः दिनांक 3-7-81 एवं 20-4-81 प्राप्त हुये थे ।

इस प्रकरण में जांच कर आख्या भेजने हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया था । अभी जांच कार्यवाही चल रही है ।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूल ग्राम रवौना, जिला सीतापुर में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

180--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिषदीय जूनियर हाई स्कूल ग्राम रवौना, विकास खण्ड परसेंडी, जिला सीतापुर में द्वितीय वित्तीय वर्ष 1981-82 में अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र थे और हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कितनों को मिली ? वर्ष 1982-83 में इसी प्रकार हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र हैं तथा कितनों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

परिषदीय जूनियर हाई स्कूल, ग्राम रिखौना, विकास खण्ड परसेंडी, जिला सीतापुर में वित्तीय वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जाति के 42 तथा पिछड़े वर्ग के 39 छात्र थे। इनमें से किसी भी छात्र को उक्त छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है।

वर्ष 1982-83 में हरिजन वर्ग के 47 तथा पिछड़े वर्ग के 47 छात्र हैं। छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

## जिला परिषद्, हरदोई द्वारा की गयी अध्यापकों की नियुक्तियाँ व पदों हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन

181—श्री राम लाल वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, हरदोई द्वारा मार्च, 82 में 109, जुलाई, 82 में 90 तथा सितम्बर, 1982 में 48 अध्यापकों की नियुक्तियाँ जो की गयीं उनका विज्ञापन क्या कभी किसी समाचार पत्र द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किन-किन पत्रों में किस-किस दिनांक को रिक्ति विषयक विज्ञापन कितने पदों हेतु प्रकाशित हुआ था ? क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ ऐसे अध्यापकों की भी नियुक्ति की गयी जो कि निर्धारित उम्र से अधिक हैं तथा कुछ बी० टी० सी० प्रशिक्षित नहीं हैं ? यदि हाँ, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

## श्री पोत्तन दुबे, जिला वाराणसी द्वारा शिक्षा विभाग में पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में दिया गया प्रार्थना पत्र

182—श्री राम आसरे वर्मा तथा

श्री मलिक मो० कमाल युसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पोत्तन दुबे, निवासी ग्राम ईर्सीपुर, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी ने दिनांक 7-6-1982 को तत्कालीन राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, लखनऊ मण्डल (श्रीमती प्रेमवती तिवारी) को कोई प्रार्थना पत्र शिक्षा विभाग में अपनी पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो श्री पोत्तन दुबे की पुनर्नियुक्ति हुई ? यदि नहीं हुई, तो कब तक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

पी० डी० एन० डी० इण्टर कालेज, चुनार, मिर्जापुर में प्रबन्ध समिति का वैधानिक चुनाव

183—श्री रामचरण सिंह —

क्या विधान सभा की कार्यसूची 2 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी०डी०एन०डी० इण्टर कालेज, चुनार, मिर्जापुर में प्रशासन योजना के अनुसार प्रबन्ध समिति का वैधानिक चुनाव एवं गठन कब तक हो जायगा ? प्रबन्ध समिति के वैधानिक चुनाव एवं गठन अब तक न होने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? दोषी व्यक्ति के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रबन्ध समिति का वैधानिक चुनाव शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रबन्ध समिति के भूतपूर्व पदाधिकारियों, साधारण सभा के सदस्यों की उदासीनता के कारण ही समिति के गठन में विलम्ब हो रहा है । उनके विरुद्ध कार्यवाही सम्भव नहीं है, जब तक प्रबन्ध समिति का विधिवत् गठन नहीं कराया जाता तब तक प्राधिकृत नियंत्रक को यथावत् कार्यरत रखा जायगा ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर, नरायनपुर, जिला मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करने या अन्य गांव में हटाने के सम्बन्ध में पत्र

184—श्री रामचरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 15-8-82 को एक पत्र कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर नरायनपुर, जिला मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करने या अन्य गांवों में हटाने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

नवाबगंज स्थित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में किये गये आडिट आपत्ति में निस्तारण हेतु कार्यवाही

185—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के नवाबगंज स्थित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय का वर्ष 1976-77 में किये गये आडिट आपत्ति में निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या निस्तारण असंतोषजनक है ? यदि नहीं, तो दोषी लोगों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी हाँ, सामान्यतः संतोषजनक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन, जिला बाँदा में सेविका के पद पर श्रीमती भगोनिया देवी को समायोजित करने की माँग

186—श्री भोखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक बे०शि०प० 3268–एक–2 78–79, दिनांक 16–2–79 के द्वारा कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन विकास खण्ड कमासिन जिला बाँदा में सेविका के पद पर श्रीमती भगोनिया देवी को समायोजित करने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो इसके बावजूद उक्त सेविका को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

## उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीरूपुर, बलिया की रजिस्टर्ड सोसाइटी शिक्षा परिषद् में श्री विश्वनाथ तिवारी को प्रबन्धक के रूप में अमान्य घोषित किया जाना

187—श्री भोला पाण्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चर माध्यमिक विद्यालय, नीरूपुर, बलिया की रजिस्टर्ड सोसाइटी शिक्षा परिषद् तथा इस विद्यालय के प्रशासन योजना के नियमान्तर्गत परिषद् के सभी सदस्यों की उपस्थिति में सर्व सम्मति से विधिवत् निर्वाचित प्रबन्धक विश्वनाथ तिवारी एवं प्रबन्ध समिति को जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा किस नियम के अन्तर्गत कर अमान्य दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त प्रबन्ध समिति का गठन विद्यालय के विधान एवं प्रशासन योजना के अनुसार न होने के कारण श्री विश्वनाथ तिवारी को प्रबन्धक के रूप में मान्य नहीं किया गया ।

## उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नोरूपुर, बलिया में नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की समाप्ति

188--श्री भोला पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी (4) के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नोरूपुर, बलिया में 5–5–83 को नियुक्ति प्राधिकृत नियंत्रण की समाप्ति आठवें वर्ष में 8-5-80 को किस आधार पर की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के वैध प्रबन्धक, विश्वनाथ तिवारी ने भी त्रुटियों का निराकरण मार्च, 1978 के पाँचवें वर्ष में ही कर दिया था और उचित माध्यम से शासन को सूचित कर दिया था और प्राधिकृत नियंत्रक कालातीत होने पर स्वत: समाप्त हो गया था ? यदि हाँ, तो प्राधिकृत नियंत्रक को 8–5-80 तक रखने का क्या आधार था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,नोरूपुर, बलिया में प्रबन्धकीय एवं कतिपय अनियमितताओं के विद्यमान होने के कारण दिनांक 5–5 73 से प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति हुई थी। इसे वर्षानुवर्ष बढ़ाया जाता रहा। अन्त में शिक्षा निदेशक से दिनांक 23–4–80 को यह संस्तुति प्राप्त होने पर कि श्री राजाराम शास्त्री विद्यालय के मान्य प्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा नियंत्रक का कार्यकाल भी पांच वर्ष से अधिक का हो चुका है और नियंत्रक को आगे बढ़ाये रहने की आवश्यकता नहीं है, शासन द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति राजाज्ञा दिनांक 8–5–80 द्वारा समाप्त कर दी गई।

## श्री रामेश्वर द्वारा पुलिया का निर्माण न होने से पानी का विकास अवरुद्ध होने की शिकायत की जाँच

189—श्री पंचानन राय—

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदेवर आत्मज श्री देवीदीन के शिकायत की जाँच तहसीलदार सदर द्वारा करायी गयी थी ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि पुलिया का निर्माण न होने से पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है ? क्या इसकी जाँच किसी उच्चाधिकारी से करायी गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ।

नेवादा बीबीपुर मार्ग पर निर्मित पुलिया को साइफन में परिवर्तित कर देने से पानी बहने का जो प्राविधान पुलिया में होकर था, वह समाप्त कर दिया गया है।

जी नहीं, तकनीकी दृष्टिकोण से वर्षा का पानी का कोई निकास अवरुद्ध नहीं हुआ है एवं उक्त स्थान पर किसी क्रास ड्रेनेज पुलिया की आवश्यकता नहीं है। उच्चाधि रीका से जाँच की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

## जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय, कार्यरत अध्यापक व देय सुविधायें

190--श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं और उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन शिक्षकों को भी वही सुविधायें प्रदान करेगी जो इनके समकक्ष अन्य प्राथमिक शिक्षकों को उपलब्ध है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## ग्राम समाज इन्टर कालेज, जय नगर जिमनी, आजमगढ़ की आडिट आपत्तियों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा निदेशक को उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

191--श्री पंचानन राय--

द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-81 को शिक्षा निदेशक द्वारा आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या मांगी जाने के बाद जिला विद्यालय द्वारा एक वर्ष तक उसे उपलब्ध न कराने के लिये सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अनुपालन आख्या अब प्राप्त हो गयी ? यदि हाँ, तो उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

## माध्यमिक विद्यालयों के कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को प्राप्त अनुरक्षण व अनुदान न दिये जाने का आधार

192--श्री पंचानन राय--

द्वितीय सत्र 82 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को विभाग तथा शासन द्वारा सभी अधिकार युक्त नहीं मान्य किया जाता रहा तो उन्हें अनुरक्षण तथा अन्य

अनुदान यथावत कैसे मिलते रहे हैं ? उनके द्वारा नियुक्त शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी किस आधार पर विधि मान्य माने जाते रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

## जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

193—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र जाँच हेतु अग्रसारित होकर 28 मार्च, 1982 के आसपास उन्हें मिला ? यदि हाँ, तो मुख्य शिकायत क्या है तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ । प्रश्नगत शिकायती पत्र मूल रूप में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को आवश्यक जाँच हेतु भेज दिया गया है ।

## राष्ट्र सेवा सदन हा० से० स्कूल सेडना, फरीदपुर, जिला बुलन्दशहर की लेखा परीक्षा में अनियमिततायें

194—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्र सेवा सदन हा० से० स्कूल, सेडना, फरीदपुर, जिला बुलन्दशहर में वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक अवधि में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा में गम्भीर अनियमितता क्या थीं तथा उस बारे में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

अनियमिततायें निम्नवत् हैं :—

1. लेजर का निर्धारित प्रपत्र पर न बनाया जाना ।
2. कर्मचारियों के वेतन एवं अतिरिक्त मँहगाई भत्ते से की गई कटौतियों से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि को बैंक में न जमा किया जाना ।
3. कर्मचारियों का बैंक खाता होते हुये नगद भुगतान किया जाना ।
4. अनिवार्य जमा योजना का धन बैंक/डाकघर में जमा न करके प्रधानाचार्य द्वारा अपने पास रखना ।

विद्यालय की वर्ष 1976–77 से 1979–80 तक को आडिट आख्या माह फरवरी, 1983 में प्राप्त हुयी है जिस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

## नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहोर, जौनपुर को हाई स्कूल की मान्यता, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के पद सृजन का अनुमोदन

195—श्री हरदेव—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नहोर, जौनपुर को हाई स्कूल की मान्यता कब मिली और वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को पद सृजन और नियुक्ति के लिये अनुमोदन कब लिये गये ? क्या यह सत्य है कि बिना अनुमोदन प्राप्त किये उक्त विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री सत्यदेव सिंह से गत सात वर्षों से अध्ययन कार्य कराया गया ? यदि हाँ, तो क्या इस शिक्षक की सेवाओं को देखते हुये इन्हें नियमित मान लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सम्बन्धित विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता दिनांक 23–8–75 को मिली और वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के पद सृजन का आदेश दिनांक 20–10–76 को मिला। नियुक्ति का अनुमोदन (समायोजन, 25–2–81 को हुआ।

बिना अनुमोदन प्राप्त किये प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित अध्यापक से दिनाँक 15-10–75 से 20–5–81 तक अध्यापन कार्य कराया गया। प्रबन्धक द्वारा उन्हें दिनांक 1–10–81 से पुनः तदर्थ नियुक्त किया गया जिसे पद के अभाव में अमान्य कर दिया गया।

जी नहीं। पद के अभाव में तथा अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बन्धित अध्यापक को नियमित मानना सम्भव नहीं है।

## जनपद जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैङ्क योजना तथा छात्रों को लाभ

196—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना लागू है तथा इस योजना से शिक्षा सत्र 1981–82 में कितने छात्र लाभान्वित हुये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर के 102 माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना लागू है। इस योजना से शिक्षा सत्र 1981–82 में कुल 22995 छात्र लाभान्वित हुये।

## जनपद आजमगढ़ के शिक्षकों द्वारा धरना तथा श्रीराम जनम सिंह, जिला मन्त्री, माध्यमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ द्वारा दिया गया शिकायती पत्र

197—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन 12 शिकायतों का निराकरण किया गया है और शेष 15 शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर से निस्तारित 12 शिकायतों की जो सूची प्राप्त हुई है उसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इनमें से एक प्रकरण शासन को अन्तिम आदेश हेतु संदर्भित है।

निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति निम्नवत् है—

दो शिकायतों का निराकरण हो चुका है। दो शिकायतों का आंशिक निराकरण हुआ है। दो शिकायतों का निराकरण विभाग द्वारा किया जा चुका है। अब प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

एक शिकायत के कुछ अंश का निराकरण हो चुका है एवं शेष अंश मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

शेष आठ प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु भी निर्देश दे दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1074 पर।)

## श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, आचार्य जे० बी० कृपलानी उ० मा०वि०, जमालपुर द्वारा अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में की गयी अपील

198—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक 27—4—82 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को भुगतान के आदेश दिये गये हैं, पर कोई रोक लगा दी गई है ? अवशेष भुगतान के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के यहाँ अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अपील की गयी है और उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

नहीं, शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक 27-4-81 के ऊपर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। अवशेष वेतन भुगतान के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को धारा 16 जी-3 के अंतर्गत अपील की गई है। इस पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु लिखा गया है।

## गाँधी विद्यालय इण्टर कालेज, मारुफपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन सम्बन्धी श्री कमला प्रसाद सिंह, शाखा मन्त्री की शिकायत पर जाँच एवं कृत कार्यवाही

199--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री कमला प्रसाद सिंह, शाखा मन्त्री, गाँधी विद्यालय इण्टर कालेज, मारुफपुर, मर्यादपुर, आजमगढ़ की संदर्भित शिकायतों की जाँच पूरी हो चुकी है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी --

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

## ब्लाक कटेहरी, जिला फैजाबाद के शुक्लपट्टी, महरुआ, रुदऊपुर आदि प्रा० विद्यालयों की बालाहार योजना की समाप्ति

200--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक कटेहरी शिक्षा क्षेत्र पहितीपुर, जिला फैजाबाद के शुक्लपट्टी, महरुआ, रुदऊपुर आदि प्रा० विद्यालयों की बालाहार योजना काट कर दूसरे ब्लाक में स्थानान्तरित कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

पहितीपुर क्षेत्र के प्रश्नगत विद्यालयों से बालाहार योजना समाप्त कर दी गयी है, न कि इसे काट कर किसी अन्य ब्लाक को हस्तान्तरित किया गया है।

## कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 5 से 7 अप्रैल, 83 तक के संशोधित कार्यक्रम का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 अप्रैल, 1983 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 5 अप्रैल, 1983 से 7 अप्रैल, 1983 तक का संशोधित कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय : –

मंगलवार, 5 अप्रैल, 1983 को--(1) विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण-(अपराह्न 4 बजे तक)

(2) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गाँधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार एवं यथास्थिति उसका पुनः पारण। —आधा घण्टा

(3) टिहरी बाँध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली कथित भयावह परिस्थिति तथा विस्थापितों की समस्या के सम्बन्ध में श्री विद्यासागर नौटियाल द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा—आधा घंटा

बुधवार 6 अप्रैल, 1983 को--(1) असरकारी दिवस (अपराह्न 5 बजे तक)

(2) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण--आधा घण्टा

(3) श्री गाँधी आश्रम, गोरखपुर के कार्यकर्त्ताओं पर नियोजित ढंग से दिनांक 1 फरवरी, 1983 को पुलिस व असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी ज्यादती एवं उन्हें जेल में बन्द कर देने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--आधा घण्टा।

गुरुवार 7 अप्रैल, 1983 को--(1) असरकारी दिवस (अपराह्न 5 बजे तक)।

(2) जनपद जालौन के कोंच नामक स्थान पर गोवध के लिये हजारों पशु बाहर ले जाने के सम्बन्ध में हुई

आम सभा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर सिंह द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--एक घण्टा ।

कृषि एवं आबकारी राज्य मन्त्री (श्रीराम रतन सिंह)--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ।

[ प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ]

## उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री खुदादीन अंसारी के निधन पर शोकोद्गार

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--मान्यवर, बड़े दुःख के साथ सदन को यह बताना पड़ रहा है कि हमारे बीच से एक बहुत उज्ज्वल नक्षत्र जैसे सदस्य श्री खुदादीन अंसारी उठ गये हैं, वे हमारे बीच अब नहीं रहे । वे दीर्घकाल तक बीमारी के कारण आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली और फिर बम्बई में गये थे, वहीं 28 मार्च को उनका देहावसान हो गया । श्री अंसारी की जिन्दगी मजदूर आन्दोलन के साथ जुड़ी हुई थी । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1980 में इस सदन की सदस्यता ग्रहण की और मजदूर नेताओं के सम्पर्क में आकर इन्टक से अपना सम्बन्ध जोड़ा । वह इन्टक की उत्तर प्रदेश शाखा के संयोजक रहे और त्रिदलीय टेक्सटाईल वेज बोर्ड के सदस्य थे । टेक्सटाईल बोर्ड के अखिल भारतीय जनरल कौंसिल के भी वे सदस्य थे । उन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिये कई काम किये थे । मोदीनगर में एक हाई स्कूल की स्थापना उनकी प्रेरणा से हुई थी और पडरौना में "सदर-अन्जुमन" एक संस्था उन्होंने कायम की थी । कई बार वह जेल गये थे । उनका विदेश पर्यटन भी पर्याप्त था । सऊदी अरेबिया, मिस्र, ईराक तथा श्रीलंका आदि देशों में वे गये थे । उनकी सामाजिक और राजनीतिक जो भूमिका थी, उससे यह प्रदेश अब वंचित हो गया है । यह एक अपूर्णीय सामाजिक और आर्थिक क्षति है और मैं आपके माध्यम से उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना का संदेश भेजने की प्रार्थना करता हूँ और अपनी पार्टी को इस शोक में पूर्णरूपेण सम्बद्ध करता हूँ ।

श्री मोहन सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री खुदादीन अंसारी के निधन के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री जी ने व्यक्त किये हैं, उससे मैं

अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ। वैसे आना-जाना इस लोक की एक परिणति है। लेकिन कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं, जिनकी स्मृति मन और मस्तिष्क से हटती नहीं है। श्री खुदादीन अंसारी ऐसे ही लोगों में से थे। बावजूद इसके कि वह हम लोगों से अलग दल से थे, हम लोगों से मिलते थे, तो मन सिहर उठता था। यदा-कदा उस पक्ष से वह जब बोला करते थे, तो यह नहीं मालूम होता था कि वह एक अल्पसंख्यक परिवार में पैदा होते हुये भी, वह बहुत अच्छे ढंग की हिन्दी का प्रयोग करते थे। वह हिन्दी, उर्दू और अर्थशास्त्र, तीन विषयों में एम०ए० थे। वह एक अच्छे समाजसेवी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने प्रारम्भिक जीवन से ही अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, मजदूरों की अगवाई करने के लिये। मजदूरी को अपना हक दिलाने में जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन्होंने संघर्ष किया था वह हम सब लोगों के लिये एक उदाहरण है। 46 वर्ष की उम्र में वह हम लोगों के बीच से चले जायेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास नहीं था। लेकिन उनके चले जाने से, हमारे मजदूरों का हमदर्द, सच्चा सिपाही, इस सदन का एक ऐसा सदस्य जो इस सदन को बहुत अच्छी बातें कह कर लाभान्वित करता था, हमारे बीच से चला गया। उनके जाने से देवरिया जनपद और उसके आसपास जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हानि हुई है,उसकी पूर्ति होना असम्भव है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी और मेरे दल की संवेदना शोक-संप्तत परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री फखरे आलम —अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर वासुदेव सिंह और माननीय मोहन सिंह ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, और जिस तरह से उन्होंने अपने दुःख को जाहिर किया है, मैं उससे अपने को और अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूँ। कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि मरहूम खुदादीन अंसारी हमसे इतनी जल्दी अलग हो जायेंगे। बहुत अच्छी उनकी तन्दुरुस्ती थी। पिछले तीन महीने से पहले वह बराबर मिला करते थे। अचानक उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई और उनको हार्ट की तकलीफ शुरू हुई कि वह बराबर घुलते ही चले गये। बहुत दिन तक मेडिकल कालेज में उनका इलाज होता रहा और वहां से जब वह निकल कर आये, तो इस सदन में भी वह कुछ दिन के लिये आये, माननीय सदस्यों से उनकी मुलाकात हुई। मैं उनकी बीमारी में भी उनको देखने गया था, तो यह नहीं मालूम होता था कि उनको कोई ऐसी बीमारी है, जो कुछ महीने के बाद उनको हमसे हमेशा के लिये अलग कर देगी। अंसारी मरहूम बहुत काम करने वाले आदमी थे और ठोस काम लगन के साथ करते थे। उन्होंने मजदूरों में रहकर काम किया, हमारे इंटक में काम किया। देहरादून में उन्होंने लेबर अफसर के रूप में काम किया। वह मजदूरों, गरीबों के हमदर्द थे और उन्होंने गरीबों को आगे बढ़ाने, उनकी खिदमत करने और उनकी तकलीफों को दूर करने के अपने तन मन

और धन से लगन के साथ काम किया। लेकिन इतनी जल्दी उनकी तंदुरुस्ती खराब हो गयी और वह हमसे अलग हो गये। 47 साल की उम्र में आदमी इस काबिल होता है कि वह कुछ काम करे, आगे बढ़े। अभी बहुत बड़ा मुस्तकबिल, फ्यूचर उनके आगे था। काम करने का बहुत बड़ा मौका था। मगर कुदरत को नहीं मंजूर था इसलिये वह जल्दी हमारे बीच से चले गये। सिवा इसके कि उनके दुःखी परिवार के साथ हम अपनी हमदर्दी का इजहार करें, किसी तरीके से उनकी तकलीफों को कम नहीं कर सकते। उनके रंजोगम में बस यह शिरकत कर सकते हैं, इस बात की दुआ करें कि उनकी रूह को शांति और सकून हासिल हो और जिस काम को वह अधूरा छोड़ गये हैं उनका परिवार उसको आगे बढ़ाये। इन अल्फाजों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से उनके दुःखी परिवार तक संवेदना का संदेश भेजने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय खुदादीन अंसारी के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय खाद्य मन्त्री जी ने तथा प्रतिपक्ष के अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, वैचारिक मतभेद अपनी जगह पर होते हुये भी स्वर्गीय खुदादीन अंसारी का जो व्यक्तित्व था जो उनकी मिलनसारिता थी और उनका जो काम करने का तरीका था उनसे हम सबको उन्होंने बहुत प्रभावित किया था। उनके निधन से उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा लेबर लीडर हमारे बीच से चला गया। उन्होंने अपने कार्य मजदूरों की सेवा, कमजोर वर्गों की सेवा से प्रारम्भ किया और अपनी इस बात के बल पर उन्होंने एक सम्मानित और श्रेष्ठ स्थान बनाया। उनकी शिक्षा के क्षेत्र में भी रुचि रही। आज वह हमारे बीच में नहीं है उनके न रहने से बहुत बड़ी रिक्तता अपनी जगह पर पैदा हुई है। मैं इन शब्दों के साथ स्वर्गीय श्री अंसारी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें। मैं इन शब्दों के साथ पुनः उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूँ।

श्री रियासत हुसैन—श्रीमन्, स्वर्गीय खुदादीन अंसारी के सम्बन्ध में माननीय खाद्यमंत्री, माननीय मोहन सिंह ने और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ। श्रीमन्, खुदादीन अंसारी का एकदम इस तरीके से हमारे बीच से चले जाना, सिर्फ इस बात को हम कह सकते हैं कि सामान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं। उनकी जो मिलनसारिता थी और जो तौर-तरीका बात करने का था वह बहुत अच्छा था। हम लोगों को यह इल्म नहीं था कि इतनी जल्दी वह हमारे बीच में नहीं रहेंगे। उन्होंने पिछड़े वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बहुत काम किया, जिले स्तर

पर, सूबे के स्तर पर और आल इण्डिया स्तर पर भी। उनके काम हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। आप हमारे और हमारे दल की तरफ से उनके दुःखी परिवार को संवेदना तथा श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें।

श्री ऊदल--मान्यवर, स्वर्गीय खुदादीन अंसारी के बारे में माननीय खाद्य मंत्री तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे और हमारे दल की तरफ से संवेदना का संदेश भेजने की कृपा करें।

श्री सूबेदार सिंह--मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्य स्वर्गीय खुदादीन अंसारी के निधन पर जो उद्गार सरकारी पक्ष से और विपक्ष की ओर से प्रकट किये गये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूँ। निश्चित रूप से श्री अंसारी के निधन से सामाजिक, राजनीतिक जीवन में शून्यता आयी है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में होना सम्भव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनाएँ उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--स्वर्गीय खुदादीन अंसारी के विषय में प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी ने, माननीय मोहन सिंह जी ने और अन्य नेताओं ने जो उद्गार प्रस्तुत किये हैं, उससे मैं भी अपने को संबद्ध करता हूँ।

जहाँ तक अंसारी साहब का सम्बन्ध है, वे चुपचाप रहते थे, कार्य बहुत करते थे, और उनकी जो प्रवृत्ति थी, वह काम में विश्वास करने की थी, ज्यादा बातें करने की नहीं थी। हालांकि हमारा उनका कोई लम्बा-चौड़ा परिचय नहीं था, लेकिन जो कार्य उन्होंने किये हैं, उसमें आज का समाज उनको नहीं भुला सकेगा। उनकी इतनी जल्दी मृत्यु हो जाना एक दुःखदायी बात है। वे समाजसेवी थे, राजनीतिक आदमी थे। इसके अलावा मजदूर आन्दोलन को छोटेपन पर ही उन्होंने अपनी जिन्दगी का उद्देश्य बनाकर इस प्रदेश में स्थान-स्थान पर कार्य किया था। जो माननीय सदस्यों ने, जो माननीय नेताओं ने यह उद्गार पेश किये हैं, मैं सबकी भावनाओं को, उनके शोक संतप्त परिवार में भेज दूँगा। अब हम उनकी आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

4 अप्रैल, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1011 पर।)

प्रशिक्षित अधिकारियों, प्रसार कार्यकर्त्ताओं एवं कृषकों की संख्या।

| | |
|---|---|
| 1980-81 | 3135 |
| 1981-82 | 3894 |
| 1982-83 | 4282 |

प्रदर्शनों की संख्या

| | |
|---|---|
| 80-81 | 259 |
| 81-82 | 366 |
| 82-83 | 1722 |

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1015 पर । )

| क्र० | नाम आवंटी | प्लाट नं० | जमीन का रकबा (वर्ग फुट) | प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क (मासिक) | वार्षिक लाइसेन्स शुल्क | प्रस्तावित सिक्योरिटी | प्रस्तावित रायल्टी | प्रस्तावित 3 माह का अग्रिम | धन जो जमा की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | श्री चुनचुन सिंह | 17 | 20′×10′ =200 वर्ग फी० | 36–00 | 432–00 | 108–00 | 100–00 | 108–00 | धन जमा नहीं है । |
| 2 | श्री सुधा कुंवर | 27 | 10′×10′ =100 वर्ग फी० | 18–00 | 216-00 | 54–00 | 50-00 | 54–00 | ,, |
| 3 | श्री सुवास लाल | 1 | 30′×10′ =300 वर्ग फी० | 54–00 | 648–00 | 162–00 | 150–00 | 162–00<br>162–00 | 474–00 |
| 4 | श्री राजेन्द्र सिंह | 18 | 20′×10′ =200 वर्ग फी० | 36–00 | 432–00 | 108–00 | 100–00 | 108–00<br>108–00 | 316–00 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री बंश बहादुर सिंह | 28 | 10′ × 10′ = 100 वर्ग फी० | 18-00 | 216-00 | 54-00 | 50-00 | 54-00<br>54-00 | 158-00 |
| 6 | श्री राजेश्वर सिंह | 29 | 20′ × 10′ =200 वर्ग फी० | 36-00 | 432-00 | 108-00 | 100-00 | 108-00<br>108-00 | 316-00 |
| 7 | श्री स्वामी नाथ साहू | 30 | 20′ × 10′ =200 वर्ग फी० | 36-00 | 432-00 | 108-00 | 100-00 | 108-00<br>108-00 | 316-00 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थियाँ

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1025 पर ।)

| क्रमांक | विकास खण्ड का नाम | लम्बाई (कि०मी०) |
|---|---|---|
| 1 | मसोधा | 2–00 |
| 2 | सोहवल | 3–50 |
| 3 | पूरा बाजार | 16–30 |
| 4 | मया बाजार | 1–50 |
| 5 | बीकापुर | 3-00 |
| 6 | तारून | 4–00 |
| 7 | मिल्कीपुर | 3–00 |
| 8 | हरिंग्टनगंज | 3–00 |
| 9 | अमानीगंज | 3–00 |
| 10 | भीटी | 3–00 |
| 11 | कटेहरी | 4–00 |
| 12 | अकबरपुर | 8–00 |
| 13 | जलालपुर | 7–00 |
| 14 | भियाव | 1–00 |
| 15 | टाण्डा | 2-30 |
| 16 | बसखारी | 3–00 |
| 17 | रामनगर | 2–00 |
| 18 | जहांगीरगंज | 1-40 |
| | | योग 71–00 |

अमर उजाला

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--197 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1062 पर ।)

क्षेत्रीय अधिकारयों के स्तर से निस्तारित 12 शिकायतों की सूची

1--श्री सिरोधर सिंह, सहायक अध्यापक की पदोन्नति हिन्दी प्रवक्ता पद पर समय समाप्त हो जाने पर की गई ।

2--सर्वश्री राम जयित सिंह, दुर्गा प्रसाद मिश्र, सिरोधर सिंह, बन बहादुर सिंह, जगदीश सिंह, नरेश सिंह एवं सूर्य नाथ तिवारी लगभग आठ महीने तक बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहे, फिर भी इस अवधि का वेतन भुगतान किया गया है ।

3--श्री चन्द्रभूषण त्रिपाठी की पदोन्नति प्रवक्ता संस्कृत के पद पर नहीं की गई जब कि वह 40% के अंतर्गत पदोन्नति से भरा जाना है ।

4--सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद उपाध्याय तथा राम लखन राय की नियुक्ति वैकल्पिक अध्यापक के रूप में की गई थी । इनके अतिरिक्त अध्यापकों की और नियुक्तियाँ की गईं जब कि पद नहीं थे और इनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

5--श्री अगनू राम परिचारक के चिकित्सीय अवकाश के वेतन का भुगतान अनियमित ढंग से किया गया है ।

6--एस० के०पी० इन्टर कालेज, आजमगढ़ में नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा अनेकों अनियमिततायें की जा रही हैं ।

7--श्री राम लखन सिंह, प्रधानाचार्य, इन्टर कालेज कहिनौर की अवैध पदोन्नति की गई है ।

8--महाराजगंज इण्टर कालेज, आजमगढ़ में न तो कोई प्रबन्ध समिति है और न कोई व्यवस्था ही है ।

9--टाउन इ०का०, मोहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर वरिष्ठतम प्रवक्ता श्री के० के० पाण्डेय को पदोन्नति नहीं किया गया है ।

10--श्री के० के० पाण्डेय, अध्यापक टाउन इ०का०, मोहम्मदाबाद, गोहना के निलंबन अवधि के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

11--गाँधी उ० मा० वि०, कौड़िया, आजमगढ़ के तीन अध्यापकों के वेतन भुगतान न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी नहीं किया जा रहा है ।

12--श्री वंश बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक श्री शंकर जी इ०का०, डीहा की पदोन्नति प्रबन्ध समिति के फर्जी प्रस्ताव पर की गई है ।